राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 176वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 176वीं बैठक दिनांक 16/07/2024 को अपरान्ह 02:00 बजे से आयोजित की गई।

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा उपस्थित प्राधिकरण के सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरांत एजेण्डावार चर्चाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–1 **राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 175वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 175वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–2 **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024 की अनुशंसा के आधार पर गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।**

1. मेसर्स पोन्दूम सेण्ड क्वारी (डी–5) (सरपंच, ग्राम पंचायत पोन्दूम), ग्राम–पोन्दूम, तहसील–दंतेवाड़ा, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2814)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी – 453624 एवं 28/11/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	5 हेक्टेयर एवं 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक एवं नदी	खसरा क्रमांक–948(पार्ट) एवं डंकनी नदी	संलग्न है।
बैठक का विवरण	509वीं बैठक दिनांक 29/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 29/01/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

समिति की 523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024:

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
बैठक का विवरण	523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 04/04/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री मनीराम ओयामी, सचिव, ग्राम पंचायत पोंडम उपस्थित हुए।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत पोन्दुम-2 दिनांक 30/06/2023	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 31/10/2023	संलग्न है।
चिन्हांकित/सीमांकित	दिनांक 18/10/2023	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 24/01/2024 खदानों की संख्या निरंक है।	संलग्न है।
200 मीटर	दिनांक 24/01/2024	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। नदी तट के किनारे से दूरी 10 मीटर है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत पोन्दुम दिनांक – 06/10/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.		आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी उल्लेख करते हुए, कार्यालय वनमंडलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम– पोन्दुम 1.7 कि.मी. स्कूल ग्राम– पोन्दुम 4.5 कि.मी. अस्पताल– दंतेवाड़ा 16 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग– 9 कि.मी. राज्यमार्ग– 18 कि.मी.	संलग्न है।
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 130 मीटर, न्यूनतम 60 मीटर **खनन स्थल की लंबाई –** अधिकतम 1,533 मीटर, न्यूनतम 1,446 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 42 मीटर, न्यूनतम 31 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 52 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर	खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई 130 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 52 मीटर है तथा खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई 60 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 10 मीटर है। अतः गैर माईनिंग क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है।
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई – 3–4 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–30,000 घनमीटर	संलग्न है।

	खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या 5 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 4 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स –	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 12/12/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।	संलग्न है।
वृक्षारोपण कार्य	नदी तट पर वृक्षारोपण – 511 नग किया जाना है। ग्राम पंचायत पोन्दुम द्वारा सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 939, क्षेत्रफल 1.55 हेक्टेयर)	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 6,33,340
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत्, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु, पर्यावरण स्वीकृति में दिये गए शर्तों का पालन किया जाऐगा एवं छः माही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, धूल के निराकरण हेतु टैंकर द्वारा जल छिड़काव करना, खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढककर करने, वाहनों का परिवहन आबादी क्षेत्र से न करने, वर्षाऋतु के दौरान रेत उत्खनन का कार्य नहीं किया जाएगा एवं खदान क्षेत्र के आस–पास नदी तट एवं पहुंच मार्ग के दोनों ओर सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। 2. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिजर्व का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जावेगा। 3. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेबल	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।

	सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। उपरोक्त सभी तथ्यों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
10	2%	0.20	Following activities at, Village-Pondum-2	
			Pavitra Van Nirman	5.528
			Total	**5.528**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (बड़, पीपल, नीम, आम, इमली, अर्जुन, करंज आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 405 नग पौधों के लिए राशि 40,780 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 85,200 रूपये, खाद के लिए राशि 3,060 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 48,000 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 24,000 रूपये तथा अन्य के लिए राशि 10,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,11,040 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,41,784 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत पोन्दुम–2 के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 939, क्षेत्रफल 1.55 हेक्टेयर में से 0.40 डिसमिल) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के भीतर गैर माईनिंग क्षेत्र में सीमा स्तंभ लगाया जाना आवश्यक है। लीज क्षेत्र के चारों कोनो तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भें गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।

3. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। डंकनी नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
2. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**
   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जावें।
   ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।
   iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।
   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (एमआरएल) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
3. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी उल्लेख करते हुए, कार्यालय वनमंडलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स पोन्दूम सेण्ड क्वारी (डी–5) (सरपंच, ग्राम पंचायत पोन्दूम) को ग्राम–पोन्दूम, तहसील–दंतेवाड़ा, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, खसरा क्रमांक–948(पार्ट), कुल लीज क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

5. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 16/07/2024 को संपन्न 176वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स पोन्दूम सेण्ड क्वारी (डी–6) (सरपंच, ग्राम पंचायत पोन्दूम) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–
   i. सी.ई.आर. के तहत् एवं नदी के तट पर शासकीय भूमि में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
   ii. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् किये जाने वाले कार्य के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
   iii. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों की क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
   iv. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

   समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।
2. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी उल्लेख करते हुए, कार्यालय वनमंडलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स एम.पी. टार प्रोडक्ट्स, प्लॉट नंबर 69–70, लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील–भिलाई, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2982)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी2/457014/ 2023, दिनांक 29/12/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील–भिलाई, जिला–दुर्ग स्थित प्लॉट नंबर 69–70, कुल क्षेत्रफल–1.42 हेक्टेयर में Coal tar pitch capacity- 20,000 TPA to 70,000 TPA and other byproducts like Creosote oil/ATO capacity- 4,000 TPA to 44,000 TPA हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपए 6.83 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 513वीं बैठक दिनांक 13/02/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 13/02/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/04/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पंकज कोठारी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. जल एवं वायु सम्मति –

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, दुर्ग द्वारा दिनांक 05/07/2023 को निम्न उत्पादन क्षमता हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण जारी की गई:–

Name of Product	Production Capacity
Anti Corrosive Coal Tar Tape	8,100 Metric Tonnes per Annum (Eight thousand one hundred metric tonnes per annum)
Pipe Coating Material	4,800 Metric Tonnes per Annum (Four thousand eight hundred metric tonnes per annum)
Bitumen Tapes	3,500 Metric Tonnes per Annum (Three thousand five hundred metric tonnes per annum)
Anti Corrosive Paints	800 Metric Tonnes per Annum (Eight hundred metric tonnes per annum)
Adhesive & Sealant	500 Metric Tonnes per Annum (Five hundred metric tonnes per annum)
Other coal tar by products (Coal tar pitch)	20,000 Metric Tonnes per Annum (Twenty thousand metric tonnes per annum)

Processed Oil all type	14,400 Metric Tonnes per Annum (Fourteen thousand four hundred metric tonnes per annum)
Cerosoate oil	4,000 Metric Tonnes per Annum (Four thousand metric tonnes per annum)
Primer all type	1,200 Metric Tonnes per Annum (One thousand two hundred metric tonnes per annum)
Water proofing membrane	5,850 Metric Tonnes per Annum (Five thousand eight hundred fifty metric tonnes per annum)
Manufacturing & fabrication of steel, Technological structure, Mechanical equipment, Pressure vessels, Tanks matching, Casting, Boiler, Pressure parts	10,000 Metric Tonnes per Annum (Ten thousand metric tonnes per annum)

जो कि दिनांक 06/07/2018 से दिनांक 05/07/2028 तक की अवधि हेतु वैध है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- समीपस्थ आबादी बालाजी नगर, भिलाई 0.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन भिलाई पॉवर हाउस 2.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। भिलाई विमानपत्तन 7.6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। तांदुला नदी 200 मीटर दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **लीज डीड का विवरण –** आवेदित क्षेत्र लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिलाई में है। लीज मेसर्स एम.पी. टार प्रोडक्ट्स के नाम पर है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 16/04/1979 से 15/04/2078 तक है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिलाई मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 27/04/2018 में निम्नानुसार प्रावधान है:–

(i) The exemption from public consultation, as provided under para 7(i) III State (3)(i)(b) of the EIA Notification, 2006, to the projects or activities located within the industrial estates or parks, if applicable as under:

(a) Which were notified by the Central Government or the State/UT Governments, prior to the said Notification coming into the force on 14th September, 2006.

(b) Which obtain prior environmental clearance as mandated under the EIA Notification, 2006 [item 7(c) of the schedule to the said Notification]

उक्त प्रावधानों के तहत् लोक सुनवाई से छुट दिये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया है। समिति का मत है कि लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिलाई को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने के संबंध में उद्योग विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

4. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S. No.	Particular	Total Area (m^2)	Area (%)
1.	Existing units	0.215	14.97
2.	Proposed units	0.136	9.47
3.	Rainwater Harvesting	0.024	1.67
4.	Green Belt	0.474	33.01
5.	Utilities	0.061	4.25
6.	Internal Road	0.349	24.30
7.	Miscellaneous	0.177	12.33
	Total	**1.436**	**100**

5. रॉ–मटेरियल –

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)			Unit
		Existing	Proposed	Total	
1.	Crude Coal Tar / Pitch Creosote Mixture / Granulated Pitch / Soft medium pitch (Liquid and lumps) / Imported pitch	36,000	89,000	1,25,000	MT / Year
Source - SAIL - Bhilai Steel Plant, Rourkela Steel plant, Durgapur Steel plant, RINL - Visakhapatnam Steel plant, IISCO Burnpur, Jindal Steel & Power Limited Augul, Tata Steel Limited, Jamshedpur, Kalinganagar, Epsilon Carbon, Evonith Steel, Wardha etc.					

6. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

Name of the Unit	Product	Quantity			Unit
		Existing	Proposed	Total	
Coal Tar Distillation Plant	Anti corrosive coal tar tapes	8,100	-	8,100	Metric Ton/year
	Pipe coating materials	4,800	-	4,800	Metric Ton/year
	Bitumen Tape	3,500	-	3,500	Metric Ton/year
	Anticorrosive paints	800	-	800	Metric Ton/year
	Adhesive and sealant	500	-	500	Metric Ton/year

	Other Coal Tar products (Coal Tar Pitch)	20,000	50,000	**70,000**	Metric Ton/year
	Processed Oil all types	14,400	-	-	Metric Ton/year
	Primer all types	1,200	-	-	Kilo Liters/year
	Creosote oil/ATO	4,000	40,000	**44,000**	Metric Ton/year

7. कोलतार पिच एवं अन्य बाई–प्रोडक्ट्स के उत्पादन हेतु हॉरिजॉन्टल डिटीलेशन इकाई का उपयोग किया जाता है। कच्चे माल को बैच प्रोसेस डिटीलेशन वैसल में डाला जाता है। डिटीलेशन वैसल में कच्चे माल को धीरे–धीरे गर्म किया जाता है। डिटीलेशन वैसल में ईंधन के रूप में फ्यूल ऑयल का उपयोग किया जाता है। डिटीलेशन वैसल से कच्चे माल को गर्म किये जाने के उपरांत कण्डेन्सर के माध्यम से ठण्डा किया जाकर अलग–अलग घनत्व के अनुसार कोलतार पिच, लाईट ऑयल/नैफ्थलिन, क्रियोसोट ऑयल एवं अन्य बाई–प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जाता है।

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी (वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत प्रदूषण भार की गणना की जानकारी सहित) फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** –

S. No.	Solid Wastes	Quantity (TPA)		Management
		Existing	Proposed	
1.	Decanter tank tar sludge	35 MT/year	122.5 MT / year	After Treatment to be used within the Premises / to be sold to Authorized Recyclers
2.	Oil and Grease skimming	0.5 MT/year	1.75 MT / year	Reused / to be sold to authorized recyclers / sold to cement manufacturers

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 15 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 1 घनमीटर प्रतिदिन, औद्योगिक परियोजना हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, फायर फाईटिंग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेसन/क्लिनिंग हेतु 1 घनमीटर प्रतिदिन एवं अन्य हेतु 1 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 60 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन, औद्योगिक परियोजना हेतु 40 घनमीटर प्रतिदिन, फायर फाईटिंग हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेसन/क्लिनिंग हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन एवं अन्य हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। जल की आपूर्ति टैंकर के माध्यम से की जाती है। समिति का मत है कि जल की आपूर्ति

टैंकर के माध्यम से किये जाने हेतु संबंधित विभाग/शाखा से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु 13 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता का ई.टी.पी. स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अतिरिक्त 8 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता का ई.टी.पी. स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट स्थापित है। समिति का मत है कि प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत उत्पन्न औद्योगिक दूषित जल एवं घरेलू दूषित जल की मात्रा एवं तदानुसार उपचार नियंत्रण की जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार:–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

11. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 150 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु 320 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट के संबंध में जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.474 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण (पौधों के संख्या सहित) हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 4(बी)(ii) कोलतार प्रसंस्करण इकाईया हेतु स्टैण्डर्ड टीओआर (लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिलाई को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने के संबंध में उद्योग विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में जमा किये जाने के शर्त के अधीन ही बिना लोक सुनवाई) निम्न अतिरिक्त बिन्दुओं सहित जारी किए जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.

iii. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.

iv. Project Proponent shall submit a layout of area proposed for plantation, earmarking atleast 10 to 15m wide green belt all along the pheriphery of the project area & make green belt of atleast 33% of the total area.

v. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

vi. Project proponent shall submit details of water balance chart.

vii. Project proponent shall submit the requirement of water alongwith water balance chart mentioning domestic usage, industrial usage, plantation purpose, dust seppression purpose etc. Accordingly project project proponent shall submit the details of ETP (alongwith process flow chart) and treatment of domestic waste water generation.

viii. Project Proponent shall submit detailed proposal for maintaining zero liquid discharge condition.

ix. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.

x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xiii. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.

xiv. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.

xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvii. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the detailed DPR alongwith photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 16/07/2024 को संपन्न 176वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक जिव्याउकेंदुर्ग/औद्योविक/2024/3516 दुर्ग, दिनांक 03/06/2024 के माध्यम से हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई के स्थापना के संबंध में जारी पत्र की प्रति प्रेषित की गई है, जिसके अनुसार उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्र वर्ष 2000 के पूर्व मध्यप्रदेश शासन काल से अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (बिना लोक सुनवाई) जारी किया जाए।
2. श्री राम सिंह ठाकुर, छावनी चौक, भिलाई (शिकायतकर्ता) द्वारा दिनांक 15/04/2024 को "Clear Violation of Enviromental laws by Coaltar Units : MP TOR Products" के संबंध में एवं श्री धीरज तिवारी (शिकायतकर्ता) द्वारा दिनांक 21/06/2024 को "M/s M P Tar, Plot no. 69-70 Light Industrial Area, Bhilai, Durg Chhattisgarh is producing products without Environment Clearance - reg." के संबंध में शिकायत प्रस्तुत किया गया है। शिकायत में मुख्य रूप से ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जल एवं वायु सम्मति प्राप्त कर उत्पादन प्रारंभ किया गया है। प्राप्त शिकायत में उल्लेखित तथ्यों के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर से जानकारी मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए। साथ ही यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) का उल्लंघन किया जाना पाया जाता है, तो परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु भी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (बिना लोक सुनवाई) जारी किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

3. **मेसर्स विराट मिनरल्स (प्रो.– श्री रमेश सुराना, बड़े कमेली आर्डिनरी स्टोन क्वारी (ए–1)), ग्राम–बड़े कमेली, तहसील–दन्तेवाड़ा, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2996)**

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 457272 एवं 03/01/2024	
खदान का प्रकार	साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित (क्षमता विस्तार)
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4 हेक्टेयर एवं 40,000 से बढ़ाकर 1,85,367 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	796	संलग्न है।

बैठक का विवरण	513वीं बैठक दिनांक 13/02/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 08/02/2024

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री छगन सिंह वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

समिति की 523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024:

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
बैठक का विवरण	523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 04/04/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री रमेश सुराना, प्रोपराईटर उपस्थित हुए।
भू–स्वामित्व	शासकीय भूमि	संलग्न है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – साधारण पत्थर (गौण खनिज) खसरा क्रमांक – 796 क्षेत्रफल – 4 हेक्टेयर क्षमता – 40,000 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 07/12/2016	डी.ई.आई.ए.ए., जिला– दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 18/02/2034 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ **क्षमता विस्तार के तहत्** – एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर – अप्राप्त	चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी	दिनांक 19/01/2024	वर्ष 2016–17 में निरंक वर्ष 2017–18 में 554.20 टन वर्ष 2018–19 में 6,387.97 टन वर्ष 2019–20 में 2,831.31 टन वर्ष 2020–21 में 4,819.91 टन वर्ष 2021–22 में 12,567.30 टन वर्ष 2022–23 में 37,033.60 टन
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत बड़े कमेली दिनांक 16/09/2003 10 वर्ष हेतु वैध थी।	उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 28/04/2021	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 11/05/2023	1 खदान, क्षेत्रफल 1.53 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 11/05/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं
लीज डीड	लीज धारक – मेसर्स विराट मिनरल्स अवधि–19/02/2004 से 18/02/2034	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वन मण्डलाधिकारी, दंतेवाड़ा वन मण्डल, दंतेवाड़ा द्वारा जारी दिनांक 06/08/2024	वन क्षेत्र से दूरी – 5 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – बड़े कमेली 1 कि.मी. स्कूल ग्राम – बड़े कमेली 1 कि.मी. अस्पताल – भनसी 7.2 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 25 कि.मी. राज्यमार्ग – 7.2 कि.मी.	तालाब – 1 कि.मी. सुनाकी नदी – 520 मीटर
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग – हाँ **रिजर्व्स –** जियोलॉजिकल 12,62,014 टन माईनेबल 8,57,090 टन रिकव्हरेबल 8,14,235 टन प्रस्तावित गहराई 26 मीटर बेंच की ऊंचाई 2 मीटर बेंच की चौड़ाई 2 मीटर संभावित आयु 30 वर्ष स्थापित एवं प्रस्तावित क्रशर – नहीं	**वर्षवार उत्खनन** प्रथम 1,69,923 टन द्वितीय 1,69,533 टन तृतीय 1,85,367 टन चतुर्थ 1,57,482 टन पंचम 1,74,759 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 6,160 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	वर्तमान में ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है।	संलग्न है।
जल आपूर्ति	मात्रा – 7 घनमीटर स्त्रोत – टैंकरों के माध्यम से	ग्राम पंचायत बड़े कमेली का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के चारों ओर वृक्षारोपण – 800 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 6,45,182 रूपये
श्रेणी	बी1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 5.53 हेक्टेयर है।

1. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

2. प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iv. Project proponent shall submit the valid copy of NOC Gram Panchayat for mining.

v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

viii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. Project proponent shall submit the species wise detail, list of trees standing in lease area.

xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiii. Project proponent shall submit an affidavit that he will not cut any tree without permission of district collector.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of plantation & maintenance for 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 16/07/2024 को संपन्न 176वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

4. मेसर्स विराट मिनरल्स (प्रो.– श्री रमेश सुराना, बड़े कमेली आर्डिनरी स्टोन क्वारी(ए–2)), ग्राम–बड़े कमेली, तहसील–दंतेवाड़ा, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2999)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 457360 एवं 03/01/2024	
खदान का प्रकार	साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित (क्षमता विस्तार)
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.53 हेक्टेयर एवं 25,000 टन प्रतिवर्ष से 86,346 प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	571	संलग्न है।
बैठक का विवरण	513वीं बैठक दिनांक 13/02/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 08/02/2024

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री छगन सिंह वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

समिति की 523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024:

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
बैठक का विवरण	523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 04/04/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री रमेश सुराना, प्रोपराईटर उपस्थित हुए।
भू–स्वामित्व	शासकीय भूमि	संलग्न है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक – 571 क्षेत्रफल – 1.53 हेक्टेयर क्षमता – 25,000 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 07/12/2016	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 29/01/2034 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ **क्षमता विस्तार के तहत्** – एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर – अप्राप्त	चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की खनिज विभाग द्वारा	दिनांक 19/01/2024	वर्ष 2016–17 में 1,215.98 टन वर्ष 2017–18 में निरंक वर्ष 2018–19 में 6,169.55 टन

प्रमाणित जानकारी		वर्ष 2019–20 में 2,195.61 टन वर्ष 2020–21 में 3,734.33 टन वर्ष 2021–22 में 11,247.00 टन वर्ष 2022–23 में 21,869.22 टन
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत बड़े कमेली दिनांक 16/09/2003 05 वर्ष हेतु वैध थी।	उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 28/04/2023	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 11/05/2023	1 खदान, क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 11/05/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
लीज डीड	वर्तमान लीज धारक – मेसर्स विराट मिनरल्स अवधि–30/01/2004 से 29/01/2034	पूर्व में लीज धारक – मेसर्स यूनिक मिनरल्स (प्रो.– श्री आशीष मालवीय) लीज डीड हस्तांतरण – दिनांक 09/04/2021
वन विभाग एन.ओ.सी.	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दंतेवाड़ा वन मण्डल, दंतेवाड़ा द्वारा जारी दिनांक 06/02/2024	वन क्षेत्र से दूरी – 5 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – बड़े कमेली 1.57 कि.मी. स्कूल ग्राम – 450 मीटर अस्पताल – मन्सी 8.5 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 26 कि.मी. राज्यमार्ग – 8.2 कि.मी.	सोकनी नदी 900 मीटर
पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ **रिजर्व्स –** जियोलॉजिकल 7,89,464 टन माईनेबल 4,01,349 टन रिकव्हरेबल 3,81,281 टन प्रस्तावित गहराई 23 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 30 वर्ष स्थापित एवं प्रस्तावित क्रशर – नहीं	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 83,525 टन द्वितीय 82,797 टन तृतीय 82,407 टन चतुर्थ 86,346 टन पंचम 66,261 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 3,750 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं

ऊपरी मिट्टी / ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	वर्तमान में ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है।	संलग्न है।
जल आपूर्ति	मात्रा – 5 घनमीटर स्त्रोत – टैंकरों के माध्यम से	ग्राम पंचायत बड़े कमेली का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के चारों ओर वृक्षारोपण – 250 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 6,13,410 रूपये
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 5.53 हेक्टेयर है।

1. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्व भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–
   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।
2. प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–
   i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
   ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
   iii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
   iv. Project proponent shall submit the valid copy of NOC Gram Panchayat for mining.
   v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

viii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. Project proponent shall submit the species wise detail, list of trees standing in lease area.

xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiii. Project proponent shall submit an affidavit that he will not cut any tree without permission of district collector.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of plantation & maintenance for 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 16/07/2024 को संपन्न 176वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से

समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

5. मेसर्स कोटराबुंदेली लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री लाल शौर्यजीत सिंह), ग्राम–कोटराबुंदेली, तहसील–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2478)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 430705/2023, दिनांक 27/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 14/06/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 26/07/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कोटराबुंदेली, तहसील–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक–186, कुल क्षेत्रफल–2.875 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–10,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 489वीं बैठक दिनांक 26/09/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 26/09/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 514वीं बैठक दिनांक 14/02/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 14/02/2024 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से

आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/04/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 08/04/2024 के माध्यम से बताया गया कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा विचार कर निम्न स्थिति पाई गई–

1. परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रस्तुतीकरण हेतु 3 अवसर प्रदान किये गये है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बार–बार अपरिहार्य कारणों का लेख करते हुये समय दिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है, जिससे समिति का अनावश्यक समय नष्ट हो रहा है।
2. समिति की बैठक दिनांक 26/09/2023 में लिए गये निर्णय अनुसार वांछित जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

पूर्व में समिति की अनुशंसा के आधार पर प्राधिकरण की 146वीं बैठक दिनांक 22/05/2023 में लिये गये निर्णय अनुसार "जो परियोजना प्रस्तावक दो बार प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित रहेंगें उसको तीसरी बार की बैठक में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक के ऑनलाईन आवेदन को पोर्टल से डि–लिस्ट/निरस्त करने का निर्णय एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ द्वारा लिया जावेगा" है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 16/07/2024 को संपन्न 176वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. **मेसर्स दर्री डोलोमाईट क्वारी (प्रो.– श्री राम केडिया), ग्राम–दर्री, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2606)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 437781/2023, दिनांक 28/07/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–दर्री, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक

469/2, कुल क्षेत्रफल–3.17 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–64,800 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 490वीं बैठक दिनांक 27/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 27/09/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 514वीं बैठक दिनांक 14/02/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 14/02/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/04/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति द्वारा विचार कर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रस्तुतीकरण हेतु 3 अवसर प्रदान किये गये है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बार–बार अपरिहार्य कारणों का लेख करते हुये समय दिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है, जिससे समिति का अनावश्यक समय नष्ट हो रहा है।
2. समिति की बैठक दिनांक 27/09/2023 में लिए गये निर्णय अनुसार वांछित जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

पूर्व में समिति की अनुशंसा के आधार पर प्राधिकरण की 146वीं बैठक दिनांक 22/05/2023 में लिये गये निर्णय अनुसार "जो परियोजना प्रस्तावक दो बार प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित रहेंगे उसको तीसरी बार की बैठक में उपस्थित नहीं होने

की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक के ऑनलाईन आवेदन को पोर्टल से डि–लिस्ट/निरस्त करने का निर्णय एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ द्वारा लिया जावेगा" है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 16/07/2024 को संपन्न 176वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स चौरसिया इंडस्ट्रीज, ग्राम–देलारी, तहसील व जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2569)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/आईएनडी1/436122/2023, दिनांक 10/07/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 25/07/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 04/08/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–देलारी, तहसील व जिला–रायगढ़ स्थित प्लाट नंबर 41, कुल क्षेत्रफल–1.77 हेक्टेयर में रेगुलाईजेशन कम एक्सपांशन ऑफ रोलिंग मिल (रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता–20,000 टन प्रतिवर्ष एवं प्रस्तावित हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल थ्रू इण्डक्शन फर्नेस क्षमता–10,000 टन प्रतिवर्ष) कुल क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 2.76 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 491वीं बैठक दिनांक 12/10/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 12/10/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 514वीं बैठक दिनांक 14/02/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जयप्रकाश सिंह, पार्टनर उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि प्रस्तुतीकरण हेतु वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/04/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ख) समिति की 523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति द्वारा विचार कर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रस्तुतीकरण हेतु 3 अवसर प्रदान किये गये है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बार–बार अपरिहार्य कारणों/वांछित जानकारी अपूर्ण होने का लेख करते हुये समय दिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है, जिससे समिति का अनावश्यक समय नष्ट हो रहा है।
2. समिति की बैठक दिनांक 12/10/2023 में लिए गये निर्णय अनुसार वांछित जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

पूर्व में समिति की अनुशंसा के आधार पर प्राधिकरण की 146वीं बैठक दिनांक 22/05/2023 में लिये गये निर्णय अनुसार "जो परियोजना प्रस्तावक दो बार प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित रहेंगें उसको तीसरी बार की बैठक में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक के ऑनलाईन आवेदन को पोर्टल से डि–लिस्ट/निरस्त करने का निर्णय एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ द्वारा लिया जावेगा" है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 16/07/2024 को संपन्न 176वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स एम.एस.के. यदु ब्रिक्स (प्रो.– श्री शत्रुहन यदु, नंदनिया सेण्ड माईन), ग्राम–नंदनिया, तहसील–करडोल, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2709)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 446115 एवं 19/10/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.99 हेक्टेयर एवं 89,820 घनमीटर प्रतिवर्ष	

खसरा क्रमांक एवं नदी	पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक–1/1 एवं महानदी	
बैठक का विवरण	504वीं बैठक दिनांक 21/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री शत्रुहन यदु, प्रोपराईटर उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.		ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 10/10/2023	
चिन्हांकित/सीमांकित	दिनांक 10/10/2023	
500 मीटर	दिनांक 10/10/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 10/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – मेसर्स एम.एस.के. यदु ब्रिक्स, प्रो.– श्री शत्रुहन यदु दिनांक – 28/08/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.		आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम–पाहंदा 630 मीटर, नंदनिया 1.35 कि.मी. स्कूल ग्राम–पाहंदा 750 मीटर अस्पताल– कसडोल 10.5 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग– 9.45 कि.मी. राज्यमार्ग– 10.2 कि.मी.	नाला– 2.25 कि.मी. नहर– 1.15 कि.मी. तालाब– 1.25 कि.मी. एनीकट– 1 कि.मी.
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 760 मीटर, न्यूनतम 750 मीटर **खनन स्थल की लंबाई –** अधिकतम 345 मीटर, न्यूनतम 331 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 163 मीटर, न्यूनतम 137 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 140 मीटर, न्यूनतम 125 मीटर	
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई – 5.2 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–89,620 घनमीटर	

	खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गड्ढे (Pits) की संख्या 5 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 5.2 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 15/06/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	
वृक्षारोपण कार्य	नदी तट पर वृक्षारोपण – 1,000 नग किया जाना है। भूमि (खसरा क्रमांक 19(पार्ट), क्षेत्रफल 0.625 हेक्टेयर)	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 15,34,000 रूपये ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	अप्राप्त	परियोजना से संबंधित समस्त शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 4.99 हेक्टेयर है।

1. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25.81	2%	0.5162	Following activities at, **Village- Parsada**	
			Plantation around Pond	0.543
			Total	**0.543**

सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 23 नग पौधों के लिए राशि 2,300 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,450 रूपये, खाद के लिए राशि 1,725 रूपये एवं सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 12,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 19,475 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 34,900 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम परसदा के अंतर्गत तालाब पर वृक्षारोपण (खसरा क्रमांक 324, क्षेत्रफल 0.967 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब

पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. नदी तट पर किये जाने वाले वृक्षारोपण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
11. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 / 2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
13. पर्यावरण स्वीकृति में दिये गये शर्तों का पालन किये जाने एवं छःमाही पालन प्रतिवेदन पर्यावरण कार्यालय में जमा कराने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

14. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सैंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिर्जव का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

15. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेबल सैंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सैंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण कर लेने के उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, जियोटेग फोटोग्राफ सहित जानकारी पर्यावरण स्वीकृति हेतु जमा किये जाने वाले अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित कर प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

17. वर्षा ऋतु के दौरान रेत उत्खनन नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी। परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के 504वीं बैठक दिनांक 21/12/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 19/02/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

समिति की 523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत परसदा का दिनांक 13/01/2024 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमण्डल, बलौदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक/तकनीकी/खनिज/744, बलौदाबाजार, दिनांक 09/02/2024 से जारी स्थल प्रतिवेदन अनुसार जानकारी निम्नानुसार है:—

   - आवेदित भूमि आरक्षित वन/संरक्षित वन/ऑरेंज एरिया की श्रेणी में नहीं आता है तथा आवेदित लीज की भूमि का कक्ष क्रमांक 143 की सीमा से 1.74 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
   - आवेदित लीज क्षेत्र की निकटतम वन्यजीव अभ्यारण्य बारनवापारा 18.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
   - आवेदित लीज क्षेत्र से निकटतम टायगर रिजर्व उदन्ती—सीतानदी, गरियाबंद 160 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

3. नदी तट पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत परसदा का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत परसदा का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

11. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 / 2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. पर्यावरण स्वीकृति में दिये गये शर्तों का पालन किये जाने एवं छःमाही पालन प्रतिवेदन पर्यावरण कार्यालय में जमा कराने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिजर्व का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

15. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेबल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण कर लेने के उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, जियोटेग फोटोग्राफ सहित जानकारी पर्यावरण स्वीकृति हेतु जमा किये जाने वाले अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित कर प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

17. वर्षा ऋतु के दौरान रेत उत्खनन नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के भीतर गैर माईनिंग क्षेत्र में सीमा स्तंभ लगाया जाना आवश्यक है। लीज क्षेत्र के चारों कोनो तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भें गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।

19. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

20. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

2. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून

के आंकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स एम.एस.के. यदु ब्रिक्स (प्रो.– श्री शत्रुहन यदु, नंदनिया सेण्ड माईन) को ग्राम–नंदनिया, तहसील–कसडोल, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1/1, कुल लीज क्षेत्रफल–4.99 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 44,910 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

4. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 16/07/2024 को संपन्न 176वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स एम.एस.के. यदु ब्रिक्स (प्रो.– श्री शत्रुहन यदु, नंदनिया सेण्ड माईन) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–
   i. सी.ई.आर. के तहत् एवं नदी के तट पर शासकीय भूमि में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
   ii. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर किये जाने वाले वृक्षारोपण कार्य के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
   iii. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
   iv. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

9. **मेसर्स टिकनपाल लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री करण भानुशाली), ग्राम–टिकनपाल, तहसील व जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2050)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 77456/2022, दिनांक 28/05/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/443493/ 2023, दिनांक 08/09/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई. आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–टिकनपाल, तहसील व जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 263/1, 279/1, 279/2, 279/3 एवं 280/1, कुल क्षेत्रफल–4.44 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,07,100 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1817, दिनांक 29/12/2022 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/11/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 496वीं बैठक दिनांक 08/11/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री महेन्द्र भानुशाली, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स इको कन्सलटेन्ट सर्विसेस, लखनऊ की ओर से डॉ. शशांक शेखर मिश्रा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत टिकनपाल का दिनांक 28/06/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 886/खनिज/उत्ख.यो./2021–22 दंतेवाड़ा, दिनांक 14/01/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 232/खनिज/ख.लि.

4/02/2021–22/खनिज/उ.प./2022 जगदलपुर, दिनांक 15/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 12 खदानें, क्षेत्रफल 11.4 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 229/खनिज/ख.लि. 4/02/2021–22/खनिज/उ.प./2022 जगदलपुर, दिनांक 15/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री करण भानुशाली के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1960/खनिज/ख.लि.4/02/2021–22/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 14/08/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 4950/खनि 02/उ.प. –अनु.निष्पा./न.क्र. 50/2017(1) नवा रायपुर, दिनांक 23/09/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 16/08/2023) की अवधि हेतु वैध थी। समिति का मत है कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 263/1, 279/2 एवं 280/1 श्री प्रताप भानुशाली, खसरा क्रमांक 279/1, 279/3 आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक/क.त.अ./684 जगदलपुर, दिनांक 01/02/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 505 मीटर की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–टिकनपाल 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–टिकनपाल 1.7 कि.मी. एवं अस्पताल चपका 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. दूर है। मारकण्डी नदी 1 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 16,65,000 टन, माईनेबल रिजर्व 10,71,000 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 10,17,450 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,020 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 16 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 36,380 घनमीटर है। बेंच

की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,07,100	षष्टम	1,07,100
द्वितीय	1,07,100	सप्तम	1,07,100
तृतीय	1,07,100	अष्टम	1,07,100
चतुर्थ	1,07,100	नवम	1,07,100
पंचम	1,07,100	दशम	1,07,100

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कम से कम 2,000 नग वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 5 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 5 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:-**

Concentration level ($\mu g/m^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu g/m^3$)	Maximum ($\mu g/m^3$)	CPCB Standard ($\mu g/m^3$)
$PM_{2.5}$	24.2	59.8	60
PM_{10}	45.3	75.2	100
SO_2	4.61	19.6	80
NO_2	10.8	28.1	80

   iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:-** ई.आई.ए. के Chapter Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	52.5	64.6	75
Night L_{eq}	42.1	54.2	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना**:– भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये वर्तमान एवं प्रस्तावित परियोजना उपरांत (पी.सी.यू., कुल पी.सी.यू. एवं व्ही/सी अनुपात संबंधी गणना कर) ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

vi. जी.एल.सी. की गणना:–

S No.	Parameters	Baseline at project site (µg/m3)	Incremental Value	Total GLC (µg/m^3)
1.	PM_{10}	71.00	0.98785	71.98785
2.	$PM_{2.5}$	48.97	0.57428	49.54428

vii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 21/07/2023, प्रातः 11:00 बजे, स्थान – ग्राम पंचायत कार्यालय परिसर, ग्राम–टिकनपाल, तहसील व जिला–बस्तर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 24/08/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान एवं कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

20. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
31	2%	0.62	Following activities at nearby, **Village-Tikanpal**	
			Pavitra Van	2.908

			Nirman	
			Total	2.908

21. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 4,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 53,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 98,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,92,800 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत टिकनपाल के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 26 क्षेत्रफल 3.14 हेक्टेयर में से 0.4 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कम से कम 2,000 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल) सहित प्रस्तुत किया जाए।
4. भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये वर्तमान एवं प्रस्तावित परियोजना उपरांत (पी.सी.यू., कुल पी.सी.यू.एवं व्ही / सी अनुपात संबंधी गणना कर) ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।
5. फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाए।
7. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान एवं कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 05 वर्षों तक रख–रखाव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
17. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
18. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/01/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 07/03/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024:
समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 53/2023 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 20/12/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) परन्तुक के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनिपट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला बस्तर को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** होना बताया गया है।

2. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 36,380 घनमीटर है, जिसका भण्डारण सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 276, क्षेत्रफल 0.46 हेक्टेयर) में किया जाकर उत्खनित क्षेत्र के पुनःभराव में उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

3. लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर 1,300 नग वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रथम वर्ष में राशि 2,60,000 रूपये एवं आगामी 4 वर्षों हेतु राशि 2,79,500 रूपये का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। साथ ही लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यों की जानकारी जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट मे समाहित कर प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये वर्तमान एवं प्रस्तावित परियोजना उपरांत (पी.सी.यू., कुल पी.सी.यू.एवं व्ही/सी अनुपात संबंधी गणना कर) ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार वर्तमान में 563 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.02 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 300 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 863 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.03 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Category 'A') के भीतर है।

5. फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

   i. ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

   ii. ब्लास्टिंग से नुकसान न हो ब्लास्टिंग करते समय गांव वालों को सूचित किया जाये, किसी प्रकार का तकलीफ न हो, छोटे स्तर पर ब्लास्टिंग करें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

   i. स्थानीय लोगों को रोजगार दी जायेगी।

   ii. ब्लास्टिंग के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा, ब्लास्टिंग का समय निर्धारित किया जाएगा, ब्लास्टिंग से पहले सायरन बजाया जाएगा ताकि उस समय पर कोई भी व्यक्ति या जानवर वहां पर ना हो और ब्लास्टिंग निर्धारित समय पर ही की जाएगी।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 12 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुंच मार्ग की कुल लम्बाई 3 कि.मी.	2,88,000	2,88,000	2,88,000	2,88,000	2,88,000
क्लस्टर पहुंच मार्ग (3 कि.मी.) के दोनों तरफ (9,000 नग) वृक्षारोपण हेतु	18,00,000	8,10,000	6,75,798	5,40,000	2,70,000
सड़क/पहुंच मार्ग के रख–रखाव हेतु	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000
हेल्थ चेकअप कैम्प्स फॉर विलेजर्स एवं अन्य खर्च	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000
कुल राशि = 70,35,798	**23,88,000**	**13,98,000**	**12,63,798**	**11,28,000**	**8,58,000**

कॉमन इन्वायरमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुंच मार्ग की कुल लम्बाई 200 मीटर, सड़क/पहुंच मार्ग के रख–रखाव एवं हेल्थ चेकअप केम्प्स फॉर विलेजर्स	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500
200 मीटर मार्ग के दोनों तरफ, तीन लाईन में (600 नग) वृक्षारोपण (नीम, जामुन, करंज, अर्जुन आदि) हेतु	1,20,000	54,000	36,000	21,000	18,000
कुल राशि = 4,96,500	**1,69,500**	**1,03,500**	**85,500**	**70,500**	**67,500**

कॉमन इन्वायरमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् कार्य पूर्ण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 05 वर्षों तक रख–रखाव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

17. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के

रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

20. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 232/खनिज/ख.लि.4/02/2021–22/खनिज/उ.प./2022 जगदलपुर, दिनांक 15/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 12 खदानें, क्षेत्रफल 11.4 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–टिकनपाल) का क्षेत्रफल 4.44 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–टिकनपाल) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 15.84 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. मेसर्स टिकनपाल लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री करण भानूशाली) को ग्राम–टिकनपाल, तहसील व जिला–बस्तर के खसरा क्रमांक 263/1, 279/1, 279/2, 279/3 एवं 280/1 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4.44 हेक्टेयर, क्षमता–1,07,100 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 16/07/2024 को संपन्न 176वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स टिकनपाल लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री करण भानूशाली) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

ii. सी.ई.आर. के तहत्, ई.एम.पी. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iv. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों की जानकारी/रिपोर्ट अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

v. इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् प्रतिवर्ष किये जाने वाले इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग कार्य तथा पर्यावरणीय सलाहकार (Environmental Consultant) के नाम सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

vi. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

vii. सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

10. मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), ग्राम–पंडरीदल्ली, राजहरा पहाड़, जमरूवा एवं दल्ली संरक्षित वन, तहसील–डौंडी, जिला–बालोद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2460)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 430564/2023, दिनांक 24/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह आयरन ओर (मुख्य खनिज) खदान है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् खदान ग्राम–पंडरीदल्ली, राजहरा पहाड़, जमरूवा एवं दल्ली संरक्षित वन, तहसील–डौंडी, जिला–बालोद, कुल क्षेत्रफल 220.42 हेक्टेयर (100.76 हेक्टेयर वन भूमि एवं 119.66 हेक्टेयर राजस्व भूमि) में आयरन ओर उत्खनन क्षमता–2.795 से 3.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष (रोम), वेस्ट–9.1 मिलियन टन प्रतिवर्ष, क्रशर यूनिट (प्रत्येक की क्षमता 250 टी.पी.एच.) – 3, कुल उत्खनन क्षमता – 12.60 मिलियन टन प्रतिवर्ष के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना की कुल विनियोग 80 करोड़ रुपये होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री समीर स्वरूप, एक्जीक्यूटिव डॉयरेक्टर (माईन्स), श्री हेमंत दोशी, जनरल मैनेजर (माईन्स) एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स मेकॉन लिमिटेड, विवेकानंद पाथ, पी.ओ. दोरान्दा, जिला–रांची, झारखंड की ओर से श्री शुभमय अदक उपस्थित हुए। । समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
    i. The proposal of M/s Bhilai Steel Plant (BSP), a subsidiary of Steel Authority of India Ltd (SAIL), is for mining of Iron Ore with enhancement of production capacity from 2.0 MTPA to 3.5 MTPA (ROM) in the MLA of 220.42 ha. The mine is located at Iron Ore Complex (IOC) Dalli Rajhara, Tehsil Dondi District Balod, Chhattisgarh.
    ii. TOR for the Proposal was accorded by to Ministry of Environment, Forest & Climate Change in its 33rd meeting and issued on 09.06.2015.
    iii. Proposal for EC along with final EIA submitted to Ministry of Environment, Forest & Climate Change on 09.12.2017. EAC (Non-Coal Mining) held on 26th Feb 2018.
    iv. EAC rejected the proposal with following comment in Minutes of Meeting and also in letter no. J-11015/167/2015-IA.II (M) dated 26.03.2018. "The proposal was received online and accordingly it was considered by the Expert Appraisal Committee in its meeting held during February 26-27, 2018 wherein the PP informed the Committee that they had never taken EC neither under EIA Notification, 1994 nor EIA Notification, 2006 and mine is operating since 1958. In view of above, EAC mentioned that this is a case of violation as PP had not

taken EC under the provisions of the EIA Notification 1994/2006 and the instant proposal may be rejected and appraised as per the provisions of the violation Notification issued by the MoEF&CC vide S.O. 804 (E) dated 14th March 2017. The Committee is also of the view that the Consultant is to be warned that they had to guide properly to the PP so that such case should not have come to this Committee with a letter be written to QCI-NABET for necessary action."

v. Against decision as taken in the minutes of the 28TH EAC Meeting held on 26TH-27TH February 2018 rejecting the proposal of SAIL for grant of EC, as informed vide letter no. J-11015/167/2015-IA.II (M) dated 26.03.2018, SAIL being aggrieved, have filed Writ Petition (Civil) No. 1734 of 2018 before the Hon'ble High Court of Chhattisgarh at Bilaspur praying, amongst others, to quash the letters dated 26.03.2018 and to issue appropriate directions to the department to consider our proposal of EC for enhancement of production capacity for iron ore complex-Pandridalli and Rajhara Pahar Iron Ore Mines in the District of Balod, Chhattisgarh.

vi. In view of the approaching deadline of the validity of lease till 27.04.2023, on 16.12.2022, SAIL made an IA in the pending Writ Petition 1734/2018 before Hon'ble Chhattisgarh High Court, to consider the proposal for grant of EC for the purpose of getting the extension of mining lease period of Pandridalli and Rajhara Pahar Mines Lease beyond 27.04.2023 and to maintain continuity of mining operations.

vii. On order dated 20.12.2022 Hon'ble Chhattisgarh High Court, directed the Chhattisgarh State Government to ensure that the application put forth by the BSP/SAIL for renewal of their lease deed which is coming to an end on 27.04.2023 be processed in accordance with law without insisting for the environmental clearance certificate.

viii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 393/खनि.लि./एम.एल./2022 बालोद, दिनांक 24/05/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (R.O.M. टन में)	वर्ष	उत्पादन (R.O.M. टन में)
1993–94	27,94,788	2008–09	11,24,190
1994–95	26,68,163	2009–10	15,76,000
1995–96	25,39,338	2010–11	15,38,050
1996–97	22,02,029	2011–12	16,56,030
1997–98	14,36,362	2012–13	13,53,160
1998–99	10,65,000	2013–14	10,27,008
1999–2000	8,92,750	2014–15	17,59,036
2000–01	8,87,100	2015–16	19,67,283
2001–02	8,61,650	2016–17	15,40,031
2002–03	9,33,850	2017–18	17,17,183
2003–04	15,47,650	2018–19	14,59,170

2004–05	13,36,900	2019–20	12,48,921
2005–06	10,67,900	2020–21	13,25,774
2006–07	10,04,650	2021–22	14,00,158
2007–08	11,27,650		

2. **जल एवं वायु सम्मति –**

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा आयरन ओर क्षमता–4.50 मिलियन टन प्रतिवर्ष, हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 19/03/2021 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 31/03/2024 तक वैध है।
- पूर्व में जारी सम्मति नवीनीकरण के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान एलांग विथ प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो के ज्ञापन क्रमांक RPR/BALOD/IRON ORE/1374/RMP/2022-23 दिनांक 31/03/2023 द्वारा अनुमोदित है।

4. **लीज संबंधी विवरण –**

- पूर्व में मेसर्स हिन्दुस्तान स्टील प्राईवेट लिमिटेड (भिलाई स्टील प्रोजेक्ट), भिलाई के पक्ष में मध्यप्रदेश शासन के आदेश दिनांक 22/04/1960 द्वारा 30 वर्ष अर्थात दिनांक 01/06/1958 से दिनांक 31/05/1988 की अवधि के लिए ग्राम–पंडरीदल्ली, राजहरा पहाड़ के कुल रकबा 720 एकड़ (291.498 हेक्टेयर) क्षेत्र पर खनिज लौह अयस्क का खनि पट्टा स्वीकृत किया गया था। तत्पश्चात् मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई के पक्ष में 241.76 हेक्टेयर (आवेदित क्षेत्र में से 120 हेक्टेयर राजस्व भूमि, 121.76 हेक्टेयर क्षेत्र वनभूमि है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वन विभाग द्वारा सिर्फ 121.76 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिपट्टा नवीनीकरण की अनुमति दी गई है।) मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक 3–119/88/12/3/1/5 भोपाल, दिनांक 05/08/1993 द्वारा 10 वर्ष हेतु खनिपट्टा का प्रथम नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई। जिसकी अवधि दिनांक 01/06/1988 से 31/05/1998 तक थी। द्वितीय नवीनीकरण मध्यप्रदेश शासन के आदेश दिनांक 04/03/1999 द्वारा 5 वर्ष अर्थात दिनांक 01/06/1998 से दिनांक 27/04/2003 की अवधि के लिए विस्तारित की गई थी। तृतीय नवीनीकरण छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग के आदेश दिनांक 03/01/2005 एवं दिनांक 15/04/2005 द्वारा 20 वर्षों अर्थात दिनांक 28/04/2003 से दिनांक 27/04/2023 की अवधि के लिए कुल रकबा 241.76 हेक्टेयर में से 220.42 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए विस्तारित की गई।

- अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3–21/2022/12 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10/07/2023 द्वारा 20 वर्ष के लिए यथा दिनांक 28/04/2023 से 27/04/2043 तक की अवधि हेतु खनिपट्टा विस्तारित किया गया है।

5. **फॉरेस्ट क्लायरेंस संबंधी विवरण** – भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ज्ञापन दिनांक 28/04/1993 द्वारा जारी पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद और उपर्युक्त सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर, केंद्र सरकार 121.76 हेक्टेयर के डायवर्जन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत अपनी मंजूरी देती है। जिला दुर्ग में लौह अयस्क के खनन के लिए भिलाई स्टील प्लांट को निम्नलिखित शर्तों के अधीन पट्टे पर वन भूमि का आवंटन"** होना बताया गया है। वन विभाग की अनापत्ति 10 वर्षों अर्थात दिनांक 28/04/1993 से दिनांक 27/04/2003 तक जारी की गई थी तत्पश्चात् वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रथम नवीनीकरण भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ज्ञापन दिनांक 28/04/1993 द्वारा जारी पत्र 06/04/2004 द्वारा जारी पत्र अनुसार **"राज्य सरकार के प्रस्ताव पर गहन विचारोपरान्त एवं उपरोक्त सलाहकार समिति की अनुशंसाओं के आधार पर। केंद्र सरकार इसके द्वारा भिलाई स्टील प्लांट के पक्ष में पंडरी दल्ली राजहरा हिल्स खदानों के लिए पहले से ही टूटी हुई 100.76 हेक्टेयर वन भूमि पर खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत अपनी मंजूरी देती है। जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन"** दिनांक 28/04/1993 से 27/04/2023 तक जारी की गई थी।

   भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन संरक्षण विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 01/04/2015 के अनुसार **"खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के नियम 8(अ) के उपनियम 1 में निर्दिष्ट खनिजों के लिए व्यपवर्तित वन भूमि की अवधि के विस्तार की वैधता खनिपट्टे की लीज अवधि के सह–मियादी (coterminous) होगी।"** समिति का मत है कि विस्तारित खनिपट्टा अवधि दिनांक 28/04/2023 से 27/04/2043 तक की अवधि हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् फॉरेस्ट क्लीयरेंस (Forest Clearance) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम जमरूवा 700 मीटर एवं रेल्वे स्टेशन दल्ली राजहरा 1.25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राजमार्ग 1.24 कि.मी. दूर है। कुसुम नाला 500 मीटर, तांदुला नदी 2.5 कि.मी., राजहरा बांध 1.6 कि.मी., बोरीडीह बांध 6.7 कि.मी. एवं जमरूवा टैंक 300 मीटर दूर है।
7. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
8. लीज क्षेत्र के बफर जोन के अंतर्गत आरक्षित वन पिपाकेट्टा, राजोबिडीह, उनोचापानी, मगर्धा जबकसा, नापुर एवं संरक्षित वन दल्ली, सिमोडीह, मारडेल, रनपाही है। समिति का मत है कि वन्य प्राणी संरक्षण योजना का अनुमोदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) से कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 35.57 मिलियन टन एवं माईनेबल रिजर्व 20.17 मिलियन टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 16.14 हेक्टेयर है। ओपन पिट माईनिंग विथ सॉवेल एण्ड डम्पर/टिपर कॉम्बिनेशन फुल्ली मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। पहाड़ी सतह से उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई राजहरा क्षेत्र में लगभग 152 मीटर एवं पश्चिम कोकन में लगभग 41 मीटर है। बेंच की अधिकतम ऊंचाई 10 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। डिप होल लार्ज डाया ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

Year	ROM Production (Tonnes)	Waste (OB) in Tonne
2023-24	21,40,000	51,44,018
2024-25	21,40,000	51,47,364
2025-26	21,40,000	52,89,231
2026-27	21,70,000	54,15,508
2027-28	35,00,000	91,00,000

10. **वेस्ट डम्प प्रबंधन योजना** :–

Dump Area	Present			Conceptual		
	Quantity	Height in meter	Area in Ha.	Quantity	Height in meter	Area in Ha.
Chikali	26.0 MT	82	36.65	77.0 MT	105	46.66
Kokan West	1.57 MT	18	3.80	-	-	3.80

11. **जल आपूर्ति** – वर्तमान में परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 1,166 घनमीटर प्रतिदिन है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु आवश्यक जल की कुल मात्रा 3,241 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान स्थिति तक कुल 31.05 हेक्टेयर में लगभग 50,325 नग पौधों का रोपण किया गया है, जिसमें से लगभग 40,347 नग पौधें जीवित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्ष 2023–24 में 5 हेक्टेयर में लगभग 12,500 नग पौधों का रोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले प्रस्तावित पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन का कार्य नहीं किया गया है।

14. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण** :–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य मार्च, 2015 से मई, 2015 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का सान्द्रण लेवल:–

Concentration level (µg/m³) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m³)	Maximum (µg/m³)	CPCB Standard (µg/m³)
$PM_{2.5}$	16	39	60
PM_{10}	37	86	100
SO_2	8.2	22.6	80
NO_2	10.3	28.3	80

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:– ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	43.4	78.9	75
Night L_{eq}	32.5	67.4	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक है। परिवेशीय ध्वनि स्तर का मान क्रशिंग प्लांट के समीप (स्टेशन–6) में CPCB Standard (75 डीबी(ए)) से अधिक 78.9 डीबी(ए) है। समिति का मत है कि उक्त स्टेशन के समीप ध्वनि स्तर को CPCB Standard (75 डीबी(ए)) से कम रखे जाने हेतु अपनाये जाने वाले प्रदूषण नियंत्रक के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

v. पी.सी.यू. की गणना:– भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

vi. मॉनिटरिंग कार्य मार्च, 2015 से मई, 2015 के मध्य किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 में उल्लेखित "(iii) The baseline data and Public Hearing shall not be more than three years old at the time of submission of application for consideration of EC. (iv.) At the time of application for EC, in case baseline data is older than three years, but less than five years old in the case of River valley and HEP Projects, or less than four years old in the case of other projects, the same shall be considered, subject to the condition that it is revalidated with one season fresh non-monsoon data collected after three years of the initial baseline data." के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

vii. पूर्व में बेसलाईन डाटा एकत्रित करने का कार्य मार्च, 2015 से मई, 2015 के मध्य किया गया था। उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के अनुसार वर्तमान में, पूर्व एकत्रित बेसलाईन डाटा की वैधता मई, 2018 तक की है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वैधता समाप्ति उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त के संबंध में नवीन बेसलाईन डाटा एवं लोक सुनवाई कराये जाने के संबंध में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

15. समिति का मत है कि परिवेशीय वायु प्रभाव हेतु जी.एल.सी. की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. लोक सुनवाई दिनांक 27/10/2017 प्रातः 11:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत हाथकरघा, वस्त्र बुनाई कार्यशाला के सामने, ग्राम–साल्हे, विकासखण्ड–डौण्डी, जिला–बालोद में संपन्न हुई।

17. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग. द्वारा दिनांक 17/04/2020 को निम्न आदेश जारी किया गया है:–

"Be that as it may, the fact remains that the petitioner has now moved the application for grant of environmental clearance certificate which is under consideration before the respondent No. 2. Foreseeing the fact the present mining lease that the petitioner has, expires on 27.04.2023 and also taking note of the fact that the respondents do not dispute or take a stand that the petitioner is not entitled for grant of environmental clearance certificate, ends of justice would meet, if the Writ Petition as of now is kept pending with a direction to the respondent No. 2 to ensure that the application for grant of environmental clearance is considered on priority basis taking into consideration the short period of time left for the mining lease period of the petitioner.

Accordingly, the respondent No. 2 is expected to take a decision before the expiry of period of mining lease i.e. on 27.04.2023. The decision of the respondent no. 2 would enable the petitioner to purse their application for renewal of the mining lease.

The Respondent No. 2 would also consider the far reaching ramifications as a consequence of the environmental clearance not being granted. The Respondent No. 2 would also consider the fact that the petitioner is a "Maharatna" Company. Subject ofcourse the petitioner meeting all the other requirements under the Rules for obtaining the E.C. certificate, except the fact of the petitioner not having E.C. certificate for the past years, the effect of which would be subject to the outcome of the present writ Petition.

20. **डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा निम्नानुसार जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही किये जाने का अभिमत है:–**

i. वित्तीय वर्ष 1993–94 से वित्तीय वर्ष 2005–06 तक तथा वित्तीय वर्ष 2006–07 से अद्यतन स्थिति तक परियोजना प्रस्तावक द्वारा कंपनी की आडिटेड बैलेंश शीट रिपोर्ट (Annual Report) के अनुसार वार्षिक टर्नओवर

की जानकारी प्रस्तुत किया जाए। (IN THE SUPREME COURT OF INDIA CIVIL ORIGINAL JURISDICTION WRIT PETITION (CIVIL) NO. 114 OF 2014 ds Page 96 of 114)

ii. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

iii. सी.ई.आर. की गणना हेतु परियोजना की कुल लागत का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए।

iv. जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

v. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले प्रस्तावित पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

vi. भारी वाहनों/मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।

vii. परिवेशीय वायु प्रभाव हेतु जी.एल.सी. की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

viii. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाए।

ix. गारलेण्ड ड्रेन, चैक डेम एवं जल निकास के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

x. Endangered flora & Fauna Biodiversity conservation plan प्रस्तुत किया जाए।

xi. Ground Vibrational Study Report की प्रति प्रस्तुत किया जाए। साथ ही Frequency of Blasting की जानकारी भी प्रस्तुत किया जाए।

xii. इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।

xiii. क्रशिंग प्लांट के समीप (स्टेशन–6) में ध्वनि स्तर को CPCB Standard (75 डीबी(ए)) से कम रखे जाने हेतु अपनाये जाने वाले प्रदूषण नियंत्रक के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

xiv. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 के अनुसार The baseline data and Public Hearing की अवधि की वैधता समाप्ति उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त के संबंध में नवीन बेसलाईन डाटा एवं लोक सुनवाई कराये जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

xv. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा 20 वर्ष के लिए यथा दिनांक 28/04/2023 से 27/04/2043 तक की अवधि के लिए शर्तों के अधीन खनिपट्टा विस्तारित किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् विस्तारित उत्पादन क्षमता एवं विस्तारित खनिपट्टा अवधि दिनांक 27/04/2043 तक के लिए वन भूमि के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस (Forest Clearance) प्रस्तुत किया जाए।

xvi. वन्य प्राणी संरक्षण योजना का अनुमोदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) से कराकर प्रस्तुत किया जाए।

xvii. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव (ईको पार्क हेतु डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।

21. **समिति के सदस्यों का निम्नानुसार अभिमत है:–**

i. **श्री डी. राहुल वेंकट**, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि अध्यक्ष महोदय के अभिमत बिन्दु क्रमांक v, x, xv एवं xvi को जब पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने हेतु विचार किया जाएगा तब सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की जा सकती है तथा अभिमत बिन्दु क्रमांक xiv के परिपेक्ष्य में नवीन बेसलाईन डाटा एवं लोक सुनवाई कराये जाने के संबंध में जानकारी मंगाये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है। उक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय के अभिमत के अन्य बिन्दुओं पर सहमति है।

ii. **श्री एन.के. चन्द्राकर**, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि अध्यक्ष महोदय के अभिमत में से बिन्दु क्रमांक i के परिपेक्ष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के संदर्भ में यह जानकारी मंगाया जाना आवश्यक नहीं है।

बिन्दु क्रमांक v के परिपेक्ष्य में लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर के पट्टी में वृक्षारोपण हो चुका है। जिसका उल्लेख माईन प्लान में किया जा चुका है।

बिन्दु क्रमांक vi के परिपेक्ष्य में लौह अयस्क परिवहन खनन पट्टे के ही अंदर खनन पश्चात् लीज क्षेत्र के अंदर से ही रेलवे रैक द्वारा डिस्पैच किया जाता है। अतः इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

बिन्दु क्रमांक vii के परिपेक्ष्य में जी. एल. सी. की गणना ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित है, जो निर्धारित मापदण्ड के भीतर है।

बिन्दु क्रमांक x के परिपेक्ष्य में फ्लोरा एवं फौना का अध्ययन वन्य प्राणी संरक्षण योजना यदि प्रस्तुत करना आवश्यक हो तो पर्यावरण स्वीकृति के शर्तों में समाहित करते हुए 6 माह या 1 वर्ष समय दिया जाकर स्वकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

i. बिन्दु क्रमांक xiv के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 1734/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27/04/2023 के तारतम्य में दिए गये आवेदन से संबंधित है। जिसमें समिति को इस प्रकरण में भारत सरकार द्वारा दिनांक 26/03/2018 तक पूर्ण किये गये स्तर के बाद से मूल्यांकन करना है। अतः इस प्रकरण में जिसमें लोक सुनवाई हो चुकी है। अतः अब समिति को ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के पैरा 7 के अनुसार मूल्यांकन करना है। पुनः लोक सुनवाई एवं बेस

लाईन डाटा कराने के बिंदु को समाहित करने से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना माना जाएगा।

ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 08/06/2022 में स्पष्ट है कि बेस लाईन डाटा एवं लोक सुनवाई की तिथि, पर्यावरण स्वीकृति आवेदन की तिथि से तीन वर्ष पुरानी नहीं होनी चाहिए इस प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति आवेदन की तिथि वर्ष 2017 है एवं लोक सुनवाई तिथि वर्ष 2017 है। वर्तमान में किया गया आवेदन केवल एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. के ऑफलाईन से ऑनलाईन प्रक्रिया में जाने से हुई तकनीकी परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। अतः इस प्रकरण में जिस समय (अतः वर्ष 2017) पर्यावरण स्वीकृति के लिए ऑफलाईन आवेदन किया गया उस समय बेस लाईन डाटा एवं लोक सुनवाई की तिथि 3 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं थी। साथ ही यह प्रकरण, जैसा कि पूर्व में इंगित है माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय के निर्देश से संबंधित है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के प्रकरण को भारत सरकार द्वारा दिनांक 26/03/2018 तक पूर्ण किये गये स्तर के बाद से मूल्यांकन करना है, जिसमें लोक सुनवाई एवं बेस लाईन डाटा पूर्ण की जा चुकी है।

बिन्दु क्रमांक xv के परिपेक्ष्य में विस्तारित खनि पट्टा अवधि तक के लिए फारेस्ट क्लियरेंस प्रस्तुत करने के संदर्भ में शपथ पत्र के आधार पर सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा करना उचित होगा।

बिन्दु क्रमांक xvi के परिपेक्ष्य में वन्य प्राणी संरक्षण योजना को पी.सी.सी.एफ. से अनुमोदन करवाकर प्रस्तुत करने के संदर्भ में शपथ पत्र के आधार पर सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा करना उचित होगा।

उक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय के अभिमत के अन्य बिन्दुओं पर सहमति है।

iii. **डॉ. मनोज कुमार चोपकर**, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि अध्यक्ष महोदय के अभिमत बिन्दु क्रमांक xiv के परिपेक्ष्य में नवीन बेसलाईन डाटा एवं लोक सुनवाई कराये जाने के संबंध में जानकारी मंगाये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है। जबकि पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के प्रथम वर्ष में अतिरिक्त ई.आई.ए. स्टडी कराया जाए। इससे सतत् पर्यावरणीय अनुपालन और निगरानी सुनिश्चित होगी।

उपरोक्त तथ्यों को समाहित करते हुये बिन्दु क्रमांक xv एवं xvi को जब पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने हेतु विचार किया जाएगा तब सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की जा सकती है।

उक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय के अभिमत के अन्य बिन्दुओं पर सहमति है।

उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में समिति के अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय से सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी., छ.ग. एवं सदस्यों, एस.ई.ए.सी., छ.ग. के अभिमत में भिन्नता होने के कारण बहुमत के आधार पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. बिन्दु क्रमांक 20 के (i) से (xvii) तक की चाही गई जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. में प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रकरण को एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. के समक्ष चर्चा हेतु प्रेषित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/10/2023 को संपन्न 156वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष, WPC No. 1734 of 2018 विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा प्रकरण में समय-समय पर जारी आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रकरण पर परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

तदानुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की 156वीं बैठक दिनांक 11/10/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/10/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 496वीं बैठक दिनांक 09/11/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिटपिटिशन (सिविल) क्र.114/2014 में पारित निर्णय दिनांक 02/08/2017 के पृष्ठ क्र. 96 में पैरा 3 में वर्ष 1993-94 से अद्यतन स्थिति तक उत्पादन की जानकारी का उल्लेख है। ऑडिटेड बैलेंश शीट रिपोर्ट (Annual Report) प्रस्तुत करने का उल्लेख प्रतीत नहीं होता है। साथ ही वर्ष 1993-94 से उत्पादन के आंकड़े ऑनलाईन आवेदन के दौरान प्रस्तुत किये जा चुके है। समिति का मत है कि उल्लंघन के प्रकरण में ऑडिटेड बैलेंश शीट रिपोर्ट (Annual Report) प्रस्तुत करने से वार्षिक टर्नओवर की जानकारी प्राप्त होगी।
2. क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1427, दिनांक 18/08/2023 द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार सभी शर्तों का पालन पूर्ण रूप से किया जाना बताया गया है।
3. सी.ई.आर. की गणना हेतु परियोजना की कुल लागत 80 करोड़ रुपये का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है।
4. जल की आपूर्ति भू-जल से की जाएगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से 1974.8 किलोलीटर प्रतिदिन हेतु ई-मेल के माध्यम से परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त अनुमति (Approval mail) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
5. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु विस्तृत प्रस्ताव के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि चूंकि यह खनिपट्टा वर्ष 1960 से संचालित है। अतः भारतीय खान ब्यूरो के मानक अनुसार लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण (कॉमन बाउण्ड्री को छोड़कर) किया जा चुका है। इस संबंध में समिति का मत है कि 7.5 मीटर की पट्टी में किये गये वृक्षारोपण की संख्या, प्रजातिवार विवरण तथा आगामी वर्षों में रख-रखाव के लिए व्ययवार विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. भारी वाहनों/मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि लौह अयस्क का परिवहन खनिपट्टे के भीतर ही किया जाता है। खनिपट्टे से बाहर लौह अयस्क को रेल्वे ट्रैक द्वारा डिस्पैच किया जाता है।

7. परिवेशीय वायु प्रभाव हेतु जी.एल.सी. की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

Air Environment in core zone – Post project scenario (µg/m³) 24 hourly concentrations	**Suspended Particulate matter (PM_{10}) (max)**
Baseline scenario (max)	83
Perdicted ground level concentrations (max)	6.6
Resultant concentrations	89.6
NAAQ Standards	100

8. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये है:-**

i. खदान के कारण हैंडपंप का उपयोग करने पर लाल रंग का दूषित जल आ रहा है। ग्रामीणों द्वारा 5 एच.पी. की क्षमता का बोरवेल एवं टंकी का निर्माण किये जाने हेतु निवेदन किया गया है ताकि समस्त घरों में पानी की व्यवस्था हो सके।

ii. जमरूवा की ओर बहने वाले लौह अयस्क मुरूम मिट्टी के रोकथाम, मलकुवर जलाशय से मिट्टी की सफाई एवं खेत में लाल पानी की शिकायत के लिए उपाय किये जाए।

iii. प्रशिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के अनुसार स्थाई नौकरी दिया जाए।

iv. बोईरडीह जलाशय से सिंचाई हेतु किसानों को पानी दिया जाए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-

i. दूषित जल के उपाय हेतु साल्हे गांव में सौर आर.ओ. प्लांट स्थापित किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् दो वर्षों के भीतर एक और सौर आर.ओ. प्लांट स्थापित किया जाएगा।

ii. प्रबंधन द्वारा गांव की ओर बहने वाले लौह अयस्क मुरूम मिट्टी के रोकथाम के लिए 4 स्टेप बांध को निर्माण किया गया है तथा जमा मुरूम मिट्टी के डिसिल्टिंग का कार्य भी नियमित रूप से किया जा रहा है।

iii. शैक्षणिक योग्यता के अनुसार खुली विज्ञापन के माध्यम से सेल भर्ती नीति के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया जाता है।

iv. बोईरडीह बांध (बी.एस.पी. का कैप्टिव बांध) में उपलब्ध पानी का उपयोग बी.एस.पी. माईन्स टाउनशीप दल्लीराजहरा में पीने व घरेलू उपयोग और राजहरा व दल्ली क्रशिंग संयंत्र में औद्योगिक उपयोग के लिए किया जा रहा

है। सिंचाई के उद्येश्य से पानी किसानों को दिये जाने हेतु अतिरिक्त पानी बांध में उपलब्ध नहीं रहता है।

9. गारलेण्ड ड्रेन, चेक डेम एवं जल निकास के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव सहित जानकारी के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि चूंकि यह खनिपट्टा वर्ष 1960 से संचालित है। गारलेण्ड ड्रेन, चेक डेम एवं जल निकास की जानकारी अनुमोदित माईनिंग प्लान की पर्यावरण प्लान में उल्लेखित है। माईनिंग प्लान का अनुमोदन ऑनलाईन होने के कारण आई.बी.एम. की शील प्लान पर नहीं दिखती है।

10. Endangered flora & Fauna Biodiversity conservation plan प्रस्तुत किये जाने हेतु समय सीमा प्रदान करते हुये सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

11. Ground Vibrational Study Report की प्रति प्रस्तुत की गई है। साथ ही Frequency of Blasting की जानकारी भी प्रस्तुत की गई है।

12. इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया गया है।

13. क्रशिंग प्लांट के समीप (स्टेशन–6) में ध्वनि स्तर को CPCB Standard (75 डीबी(ए)) से कम रखे जाने हेतु अपनाये जाने वाले प्रदूषण नियंत्रक के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 के अनुसार The baseline data and Public Hearing की अवधि की वैधता समाप्ति उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त के संबंध में नवीन बेसलाईन डाटा एवं लोक सुनवाई कराये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का निम्नानुसार कथन है–

1) यह प्रस्ताव परियोजना प्रस्तावक द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्र. 1734/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27/04/2023 के तारतम्य में दिए गये आवेदन से संबंधित है, जिसमें समिति को इस प्रकरण में भारत सरकार द्वारा 26/03/2018 तक पूर्ण किये गये स्तर के बाद से मूल्यांकन करना है। अतः इस प्रकरण में जिसमें की लोक सुनवाई (public hearing) हो चुकी है। अतः अब समिति को ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के पैरा 7 के अनुसार मूल्यांकन (appraisal) करना है। पुनः लोक सुनवाई एवं बेसलाइन डाटा कराने के बिंदु को समाहित करने से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना होगी।

2) इसके अतिरिक्त इस संबंध में माननीय मद्रास उच्च न्यायलय द्वारा रिट पिटीशन क्र. 11189/2017 में पारित निर्णय दिनांक 13/10/2017 के निर्णय, जिसमें लोक सुनवाई को निश्चित रूप से एक ही बार करने को निर्देशित है, को भी दृष्टिगत रखना होगा। इस निर्णय के सारांश को निम्नानुसार उद्धृत किया है।

Conclusion

We record the submissions of the learned Additional Solicitor General that (a) public hearing can be read into paragraph 5 of the impugned notification and (b) this shall certainly and clearly be a one time measure.

इसी निर्णय के अनुसार सेल की ओड़ीशा राज्य में स्थित लौह अयस्क खनि पट्टे को पुनः लोक सुनवाई से छूट दी गई है। सुलभ सन्दर्भ हेतु सेल की झिलिंगबुरु–1 खदान, जिसकी लोक सुनवाई 2016 में पूर्ण हो चुकी थी, ToR संशोधन वर्ष 2022 के दौरान पुनः लोक सुनवाई को माननीय मद्रास उच्च न्यायलय के इसी निर्णय को आधार मानकर छूट प्रदान की गई ।

3) प्रस्तुत आफिस मेमोरेंडम दिनांक 08/06/2022 में स्पष्ट है कि बेस लाइन डाटा एवं लोक सुनवाई की तिथि, पर्यावरण स्वीकृति आवेदन की तिथि से तीन वर्ष पुरानी नहीं होनी चाहिए. इस प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति आवेदन की तिथि वर्ष 2017 है एवं लोक सुनवाई की तिथि भी वर्ष 2017 है। वर्तमान में किया गया आवेदन मात्र MoEFCC के Offline esa Online प्रक्रिया में जाने से हुई तकनीकी परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। यह प्रकरण, जैसा की पूर्व में इंगित है माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय के निर्देश से संबंधित है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के प्रकरण को भारत सरकार द्वारा 26/03/2018 तक पूर्ण किये गये स्तर के बाद से मूल्यांकन करना है, जिसमें लोक सुनवाई (public hearing) एवं बेसलाइन डाटा पूर्ण की जा चुकी है। इस प्रकरण को माननीय मद्रास उच्च न्यायलय द्वारा रिट पिटीशन क्र. 11189/2017 में पारित निर्णय दिनांक 13.10.2017 के सन्दर्भ में भी देखा जाना उचित होगा।

4) इस संबंध में समिति के 3 माननीय सदस्यों द्वारा दिया गया अभिमत स्वतः व्याख्यात्मक है। उपरोक्तानुसार एस.ई.ए.सी. के इस बिन्दु को विलोपित करने का अनुरोध किया गया है।

समिति का मत है कि चूंकि यह खनिपट्टा वर्ष 1960 से संचालित है एवं बेसलाईन डाटा एवं लोक सुनवाई को कराये अधिक समय हो गया है। वर्तमान में आवेदन अनुसार क्षमता में वृद्धि हो रहा है। अतः अद्यतन स्थिति में बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य किया जाना आवश्यक है।

15. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा 20 वर्ष के लिए यथा दिनांक 28/04/2023 से 27/04/2043 तक की अवधि के लिए शर्तों के अधीन खनिपट्टा विस्तारित किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् विस्तारित उत्पादन क्षमता एवं विस्तारित खनिपट्टा अवधि दिनांक 27/04/2043 तक के लिए वन भूमि के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस (Forest Clearance) के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि खनिपट्टे के विस्तारीकरण की स्थिति में पृथक से फॉरेस्ट क्लीयरेंस (Forest Clearance) की आवश्यकता नहीं है। इस बाबत् भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश दिनांक 01/04/2015 की प्रति प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में समिति का मत है कि दिनांक 28/04/2023 से 27/04/2043 तक की अवधि हेतु खनिपट्टा विस्तारित किया गया है। चूंकि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन क्षेत्र में कार्य नहीं किये जाने का उल्लेख है। अतः फॉरेस्ट क्लीयरेंस (Forest Clearance) की वैधता वृद्धि की प्रति प्राप्त होने उपरांत वन क्षेत्र में कार्य किया जाना है।

16. वन्य प्राणी संरक्षण योजना का अनुमोदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) से कराकर प्रस्तुत किये जाने हेतु समय सीमा प्रदान करते हुये सशर्त

पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध किया गया है। चूंकि इस प्रक्रिया में समय लग सकता है।

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव (ईको पार्क हेतु डी.पी.आर.) प्रस्तुत किये जाने हेतु समय सीमा प्रदान करते हुये सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. उल्लंघन के प्रकरण में आडिटेड बैलेंश शीट रिपोर्ट (Annual Report) वार्षिक टनओवर की जानकारी हेतु प्रस्तुत किया जाए।
2. 7.5 मीटर की पट्टी में किये गये वृक्षारोपण की संख्या, प्रजातिवार विवरण तथा आगामी वर्षों में रख–रखाव के लिए व्ययवार विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. Endangered flora & Fauna Biodiversity conservation plan प्रस्तुत किया जाए।
4. चूंकि यह खनिपट्टा वर्ष 1960 से संचालित है एवं बेसलाईन डाटा एवं लोक सुनवाई को कराये अधिक समय हो गया है। वर्तमान में आवेदन अनुसार क्षमता में वृद्धि हो रहा है। अतः अद्यतन स्थिति में बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य किया जाए।
5. फॉरेस्ट क्लीयरेंस (Forest Clearance) की वैधता वृद्धि की आदेश प्रति प्रस्तुत किया जाए।
6. वन्य प्राणी संरक्षण योजना का अनुमोदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) से कराकर प्रस्तुत किया जाए।
7. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव (ईको पार्क हेतु डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।
8. माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष, WPC No. 1734 of 2018 विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा प्रकरण में आदेश जारी किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/01/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 15/03/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(ख) समिति की 523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. उल्लंघन के प्रकरण में आडिटेड बैलेंश शीट रिपोर्ट (Annual Report) वार्षिक टनओवर के संबंध परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की गई है:–

   i. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी आफिस मेमोरेंडम दिनांक 07/07/2021 के बिंदु 12 बी (पप) परिप्रेक्ष्य में यह जानकारी भविष्य के

लिए माँगा जाना प्रतीत होता है, इस सम्बन्ध में लेख है कि उपरोक्त आफिस मेमोरेंडम को वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02/01/2024 में जारी निर्देश द्वारा इसके प्रचलन को stay किया गया है।

ii. यह खनि पट्टा केप्टिव उपयोग के लिए प्रयुक्त होता है एवं वर्तमान में इस खनि पट्टे का स्वतंत्र रूप से आडिटेड बैलेंस शीट एवं टर्न ओवर नहीं बनाया जाता है। समिति के निर्णयानुसार इस खनि पट्टे का स्वतंत्र रूप से आडिटेड बैलेंस शीट एवं टर्नओवर बनाये जाने हेतु सम्भावना तलाशी जा रही है।

iii. सेल, भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है एवं भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य कोई न्यायिक निर्देश के परिपालन में देने की आवश्यकता पड़ने पर आंकड़ों में शुद्धता रखने को सेल प्रतिबद्ध है।

2. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 3.05 हेक्टेयर क्षेत्र में 7,625 नग पौधों (यूकिलप्टस, अरकेसिया, शिशो, पेल्टाफॉर्म, करंज, अकाशिया) का रोपण किया गया है, जिसमें से 6,104 नग पौधों जीवित है, जिस हेतु त्रि-पक्षीय मूल्यांकन (Society Environment & Integrated Development Raipur) से सत्यापन कराया जाना बताया गया है।

3. Endangered flora & Fauna Biodiversity conservation plan प्रस्तुत किये जाने के संबंध में राज्य सरकार के स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट से 25,00,000/- रूपये का Budgetary offer लेकर कार्य प्रारंभ कर दिया है एवं आगामी 4-5 महीनों में यह कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् अनुमोदन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

4. बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य अद्यतन स्थिति मार्च 2022 से मई 2022 के मध्य किया गया है।

5. फारेस्ट क्लियरेंस की वैधता वृद्धि बाबत् वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन में आवेदन किया गया है। चूंकि फारेस्ट क्लियरेंस की वैधता वृद्धि अब Deeming provision में है। यह परिवर्तन दिनांक 02/11/2021 को खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत बनाये गये खनिज (परमाणु एवं हाइड्रोकार्बन खनिजों से भिन्न) रियायत नियम 2016 के नियम 72 के अंतर्गत "सरकारी कम्पनी द्वारा खनन" को सम्मिलित करने के पश्चात् किया गया है। इस नियम में सरकारी कम्पनी को विशेष अधिकार देते हुये 50 वर्ष की अवधि समाप्ति पश्चात् एक समय में अतिरिक्त 20 वर्षों का अवधि विस्तारीकरण Deeming provision के अंतर्गत रखा गया है।

6. Endangered flora & Fauna Biodiversity conservation plan प्रस्तुत किये जाने के संबंध में जानकारी उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 03 में उल्लेखित है।

7. सी.ई.आर. हेतु सभी वैधानिक प्रावधानों को पूरा करने के लिए सेल वचनबद्ध है। उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 3 में दिये गये राज्य सरकार को प्रस्ताव में भी ईको पार्क हेतु डी.पी.आर. सम्मिलित है।

8. माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष, WPC No. 1734 of 2018 विचाराधीन है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः-

1. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् फारेस्ट क्लियरेंस की वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी / दस्तावेज को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से

प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

2. 7.5 मीटर की पट्टी में किये गये वृक्षारोपण की संख्या प्रजातिवार विवरण तथा आगामी वर्षों में रख–रखाव के लिए व्ययवार विवरण सहित प्रस्ताव एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क का निर्माण हेतु पूर्ण DPR प्रस्तुत करे एवं ईको पार्क का निर्माण कार्य की प्रगति अर्धवार्षिक पालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को ग्राम–पंडरीदल्ली, राजहरा पहाड़, जमरूवा एवं दल्ली संरक्षित वन, तहसील–डौंडी, जिला–बालोद के कुल क्षेत्रफल 220.42 हेक्टेयर (100.76 हेक्टेयर वन भूमि एवं 119.66 हेक्टेयर राजस्व भूमि) में आयरन ओर (मुख्य खनिज) उत्खनन क्षमता–2.795 से 3.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष (रोम), वेस्ट–9.1 मिलियन टन प्रतिवर्ष, क्रशर यूनिट (प्रत्येक की क्षमता 250 टी.पी.एच.) – 3, कुल उत्खनन क्षमता – 12.60 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

साथ ही यह भी अनुशंसा की जाती है कि उल्लंघन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के WPC No. 1734 of 2018 के निर्णय आने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निर्णय अनुसार प्रभावित होगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 16/07/2024 को संपन्न 176वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/06/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है:–

1. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् फारेस्ट क्लियरेंस की वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत करने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि "वनमंडलाधिकारी, बालोद वनमंडल द्वारा इस खनि पट्टे के अवधि विस्तार संबंधित अनुशंसा कर मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त को आगे की कार्यवाही हेतु पत्र दिनांक 27/03/2024 को कर दिया है। मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त ने अवधि विस्तार संबंधित अनुशंसा कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध) को अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्र दिनांक 08/04/2024 को प्रेषित कर दिया है।

इस खनिपट्टे का लीज अवधि विस्तार दिनांक 26/04/2043 तक हो चुका है एवं इस खनि पट्टे के सम्पूर्ण 100.76 हेक्टेयर वन भूमि का द्वितीय चरण वन स्वीकृति दिनांक 18/05/2004 को जारी हो चुकी है। अतः Deeming Provision को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा वैधता वृद्धि आदेश शीघ्र ही जारी करने की सम्भावना है।"

प्राधिकरण का मत है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् राज्य सरकार से जारी फारेस्ट क्लियरेंस की वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु (आंवला, पीपल, बरगद, नीम, आम, अर्जुन एवं बेल) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,521 नग पौधों के लिए राशि 3,74,166 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 16,63,223.84 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,94,688 रूपये, तथा खाद एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 4,15,233 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 26,47,310.84 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Additional Capital Investment (in Crore Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Crore Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Crore Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Crore Rupees)
80	2%	1.60	Following activities at, **Village - Kotagaon**	
			Eco Park / Oxyzone Development	2.176
			Total	**2.176**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण/ऑक्सीजोन" (आंवला, पीपल, नीम, आम, करंज, कदंब, जामुन, अमलताश, बरगद आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 5 वर्ष में 10,303 नग पौधों के लिए राशि 1,65,34,418 रूपये, डेव्हलपमेंट ऑफ वॉक पाथवे, सिटिंग/शेड्स एरिया, पेव्ह एरिया आदि के लिए राशि 10,00,000 रूपये, टॉयलेट (जेंट्स/लेडिस) के लिए राशि 1,00,000 रूपये, ड्रिंकिंग वॉटर के लिए राशि 30,000 रूपये, ओवर हेड वॉटर टैंक के लिए राशि 2,00,000 रूपये, ट्यूब वैल एण्ड वॉटर पाईप डिस्ट्रिब्यूशन इन ऑल एरिया के लिए राशि 5,00,000 रूपये, डेव्हलपमेंट ऑफ रेस्ट शेल्टर रूम एण्ड ग्राउण्ड रूम के लिए राशि 20,00,000 रूपये, क्लीनिंग एण्ड अदर मेन्टेनेंस (5 वर्ष में) के लिए राशि 15,00,000 रूपये इस प्रकार कुल राशि 2,17,64,418 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

5 वर्ष में 10,303 नग पौधों के लिए राशि 1,65,34,418 रूपये का विस्तृत प्रस्ताव – सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–कोटागांव के शासकीय भूमि में वृक्षारोपण (आंवला, पीपल, नीम, आम, करंज, कदंब, जामुन, अमलताश, बरगद आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 10,303 नग पौधों के लिए राशि 32,55,748 रूपये, बाउण्ड्रीवाल के लिए राशि 31,96,750 रूपये, खाद के लिए राशि 90,000 रूपये, रख–रखाव आदि के लिए राशि 19,28,000 रूपये तथा अन्य खर्च के लिए राशि 5,00,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष मे कुल राशि 89,72,498 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 75,61,920 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण/ऑक्सीजोन" निर्माण हेतु स्वयं की भूमि (भिलाई स्टील प्लांट के नाम पर) पर यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 01 एवं क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

ii. सी.ई.आर. के तहत, ई.एम.पी. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत 'ईको पार्क निर्माण/ऑक्सीजोन' किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iv. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों की जानकारी/रिपोर्ट अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

v. इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् प्रतिवर्ष किये जाने वाले इन्वारोमेंट मॉनिटरिंग कार्य तथा पर्यावरणीय सलाहकार (Environmental Consultant) के नाम सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई. ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

vi. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

vii. सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

2. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् राज्य सरकार से जारी फारेस्ट क्लियरेंस की वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण WPC No. 1734 of 2018 पर निर्णय के पालनार्थ कार्यवाही की जाएगी।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फील्डस् लिमिटेड (सरायपाली ओपनकास्ट एक्सपांशन प्रोजेक्ट), कोरबा एरिया, ग्राम–बुडबुड, तहसील–पाली, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2285)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/सीएमआईएन/457326/2024, दिनांक 01/01/2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् कोरबा एरिया, ग्राम–बुडबुड, तहसील–पाली, जिला–कोरबा स्थित कुल क्षेत्रफल–279 हेक्टेयर में ओपनकास्ट कोल माईन क्षमता–1.68 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष (Stage II Expansion, 40%) करने के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 512वीं बैठक दिनांक 12/02/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बी.के. जैना, जनरल मैनेजर, दीपक पंड्या, जनरल मैनेजर, कोरबा एरिया एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाईन इन्सटिट्यूट लिमिटेड, रांची की ओर से श्रीमती यामिनी सिंह उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 11/04/2022 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में उल्लेखित तथ्य निम्न है:–

   "Guidelines for granting Environmental Clearance (EC) under para 7 (II) (a) of EIA Notification, 2006, for expansion up to 50%, within the existing premises/mine lease area, without additional land acquisition"

   Project proponent shall apply in the requisite form on the PARIVESH Portal under para 7 (II) of EIA notification, 2006, along with EIA/EMP reports based on standard TORs and public consultation report, if applicable. The concerned EAC/SEAC shall appraise the project proposal and it may prescribe additional sector specific and/or other environmental safeguards after due diligence, as required."

2. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30/05/2022 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में उल्लेखित तथ्य निम्न है:–

   "In order to avoid undue delay in obtaining requisite clearance and ensure that due environmental safeguards are in place, it is hereby clarified that the revised EIA/EMP report based on standard ToRs, may be prepared for a maximum of

50% expansion of the original EC capacity for which public hearing has been held, in order to avail the benefit of the above-said OM dated 11th April 2022. However, the EC shall be granted in phases of 20%, 40% and 50% capacity expansion, based on the above mentioned revised EIA/EMP report, subject to submission of Certified Compliance Reports for ECs granted at each stage."

3. **पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का विवरण –**

   1. पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 21/03/2007 द्वारा कुल क्षेत्रफल– 279.0 हेक्टेयर में ओपनकास्ट कोल माईन क्षमता–1.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
   2. राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 2679/एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़/खदान/2285 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23/03/2023 को कुल क्षेत्रफल–279 हेक्टेयर में कोल माईन क्षमता–1.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1.68 मिलियन टन प्रतिवर्ष (20% Expansion) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
   3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 11/04/2022 एवं दिनांक 30/05/2022 के अनुक्रम में 1.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में ऑनलाईन आवेदन क्रमांक एसआईए/सीजी/सीएमआईएन/ 415356/2023, दिनांक 21/01/2023 में 50 प्रतिशत हेतु फाईनल ई.आई.ए./ई.एम.पी. एवं 50 प्रतिशत हेतु माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

5. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा 28 फरवरी 2024 तक एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. समिति का मत है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30/05/2022 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम के अनुसार 40 प्रतिशत क्षमता विस्तार हेतु सर्टिफाईड कम्प्लायंस रिपोर्ट (CCR) प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30/05/2022 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम के अनुसार 40 प्रतिशत क्षमता विस्तार हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से सर्टिफाईड कम्प्लायंस रिपोर्ट (CCR) प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के 512वीं बैठक दिनांक 12/02/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 19/03/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30/05/2022 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम के अनुसार 40 प्रतिशत क्षमता विस्तार हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा दिनांक 19/03/2024 पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृतियों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार:–
   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के स्पेसिफिक शर्त क्रमांक (iv), (v), (ix), (x), (xiv), (xvii) एवं जनरल शर्त क्रमांक (i), (iv), (ix), (xi), (xvi) तथा अतिरिक्त शर्त क्रमांक (vi), (viii), (xii), (xiii), (xiv) का आंशिक एवं अपूर्ण पालन किया जाना बताया गया है।
   - खदान क्षेत्र में निर्मित रिटेनिंग वॉल की ऊचांई बढ़ाया जाना चाहिए।
2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त आंशिक एवं अपूर्ण प्रतिवेदन के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 04/04/2024 में प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 11/04/2022 तथा दिनांक 30/05/2022 के अनुसार Para 7 (ii) (a) के तहत् खदान कोरबा एरिया, ग्राम–बुड़बुड़, तहसील–पाली, जिला–कोरबा स्थित कुल क्षेत्रफल–279 हेक्टेयर में ओपनकास्ट कोल माईन क्षमता–1.68 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष (Stage II Expansion, 40%) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई। इसके अतिरिक्त निम्न शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई:–
   1. Project proponent shall obtain CTE/CTO from Chhattisgarh Environment Conservation Board for Coal production capacity 1.96 MTPA.
   2. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned authority.
   3. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iv. The project proponent shall submit the wildlife conservation plan duly approved by the PCCF (Wildlife) and the project money to be deposited in State CAMPA Fund.

v. Project proponent shall ensure to develop a Greenbelt consisting of 3-tier plantation of width not less than 7.5 meter all along the mine lease area. Project proponent shall do plantation over reclaimed area as per the above proposal. The green belt comprising a mix of native species (endemic species should be given priority) shall be developed all along the major approach/ coal transportation roads.

vi. Project proponent shall form a tripartite committee (Representative of Industry, Representative of District administration/CECB and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc and submit a report at every 06 months.

vii. The project proponent shall used the maximum surface water. Project proponent shall not use ground water without prior permission from the Central Ground Water Authority (CGWA). Ground water shall be used only for domestic purpose.

viii. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

ix. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM10 and PM2.5 in reference to PM emission, and SO2 and NOx in reference to SO2 and NOx emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.

x. Project authorities shall provide Occupational heath surveillance records and submitted in six- monthly monitoring report.

xi. The project proponent shall conduct the Biodiversity study of the project area and submit the report.

xii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as amended).

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृतियों में अधिरोपित शर्तें यथावत् रहेंगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 16/07/2024 को संपन्न 176वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फील्ड्स् लिमिटेड (सरायपाली ओपनकास्ट एक्सपांशन प्रोजेक्ट) को क्षमता विस्तार के तहत् कोरबा एरिया, ग्राम–बुडबुड, तहसील–पाली, जिला–कोरबा स्थित कुल क्षेत्रफल–279 हेक्टेयर में ओपनकास्ट कोल माईन क्षमता–1.68 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष (Stage II Expansion, 40%) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृतियों में अधिरोपित शर्तें यथावत् रहेंगी।

साथ ही समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

12. मेसर्स सिंघानिया इंटरप्राईजेस (रोहांसी लाईम स्टोन माईन, पार्टनर श्री रोहित सिंघानिया), ग्राम–रोहांसी, तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2510)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 432470/2023, दिनांक 09/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–रोहांसी, तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 475/7, 476/2, 476/3, 476/4, 476/5, 476/6, 476/7, 476/11, 476/12, 476/13, 476/14, 476/15, 476/16, 476/17, 476/19, 476/20, 476/21, 476/22 एवं 476/23 कुल क्षेत्रफल–3.652 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,50,123 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 481वीं बैठक दिनांक 11/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनोज सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर के संबंध में ग्राम पंचायत रोहांसी का दिनांक 21/04/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इनवायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्र. 950/बी.03–3/न.क्र.10/2022 बलौदाबाजार, दिनांक 17/05/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापार के ज्ञापन क्रमांक 992/बी 3–3/न.क्र 10/2022 बलौदाबाजार, दिनांक 19/05/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापार के ज्ञापन क्रमांक 992/बी 3–3/न.क्र 10/2022 बलौदाबाजार, दिनांक 19/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी

सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि एवं एल.ओ.आई. मेसर्स सिंघानिया इंटरप्राईजेस के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 228/बी 3–3/न.क्र 10/2022 बलौदाबाजार, दिनांक 06/02/2023 द्वारा जारी की गई, जो जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमण्डल, जिला–बलौदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक/तकनीकी/खनिज/01 बलौदाबाजार, दिनांक 02/01/2023 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र के कक्ष से 240 मीटर की आकाशीय दूरी पर है।

उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है जो निम्नानुसार है:–

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 147/99/10–3 दिनांक 12/01/2000 के द्वारा निम्न प्रावधान जारी किया गया है:–

> **"प्रत्येक जिलाध्यक्ष द्वारा उत्खनन की स्वीकृति जारी करने के पूर्व संबंधित क्षेत्रीय, वनमण्डलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे, जो कि वनमण्डलाधिकारी वनभूमि न होने की दशा में ही जारी करेंगे।"**

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ 5/16/01/10–3 दिनांक 07/10/2002 के बिन्दु (ख) में निम्न प्रावधान है:–

> **"यदि प्रस्तावित क्षेत्र वन क्षेत्र में नहीं है तथा वनक्षेत्र के न होने के साथ भी वनक्षेत्र की सीमा के 250 मीटर की दूरी के भीतर नहीं है, उसी स्थिति में क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेंगे।"**

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के ज्ञापन क्रमांक /एफ 5/16/01/10–3 दिनांक 17/08/2008 के द्वारा वनक्षेत्र से 250 मीटर के अंदर यदि खनिज के महत्व एवं उपलब्धता को देखते हुये खनिजपट्टा स्वीकृत करने के संबंध में विचार किया जाना है, तो इस संबंध में अनुशंसा करने के लिए समिति का गठन किये जाने का पत्र में उल्लेख है।

मध्यप्रदेश राज्य में अवैध उत्खनन के नियंत्रण हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा पत्र दिनांक 27/08/2008 में दिये गये निर्देश मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित थे तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी किये गये थे, अतः उक्त निर्देशों का संज्ञान नहीं लिया जाये हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) छत्तीसगढ़ अटल नगर नवा रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/स.–02/2022/150 रायपुर, दिनांक 02/02/2022 द्वारा जारी पत्र की प्रति परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है।

उक्त के संबंध में समिति का मत है कि जारी निर्देश मध्यप्रदेश शासन से जारी किये गये है। छत्तीसगढ़ शासन से उक्त के संदर्भ में कोई निर्देश प्राप्त

नहीं किये गये है। अतः वनक्षेत्र की सीमा से 250 मीटर की न्यूनतम दूरी छोड़ते हुये खनन कार्य किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–खैरा 680 मीटर, स्कूल ग्राम–रोहांसी 1.25 कि.मी. एवं अस्पताल सोनार देवरी 5.75 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9.05 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18.30 कि.मी. दूर है। महानदी 2 कि.मी., तालाब 480 मीटर, नाला 550 मीटर एवं नहर 2 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 26,47,700 टन, माईनेबल रिजर्व 14,45,752 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 13,73,464 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,235 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 7,478.25 घनमीटर है। प्रस्तुत प्लान पिरियड में कुल 6928.25 घनमीटर ऊपरी मिट्टी जनित होगी। लीज क्षेत्र में ओव्हर बर्डन की मोटाई 0.75 मीटर है तथा कुल मात्रा 22,434.75 घनमीटर है। प्रस्तुत प्लान पिरियड में कुल मात्रा 20,784.75 घनमीटर ओव्हर बर्डन जनित होगी। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। लीज क्षेत्र में मोबाईल स्टोन क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 372 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,50,019
द्वितीय	1,50,052
तृतीय	1,50,016
चतुर्थ	1,50,123
पंचम	1,50,088

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अर्थोरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,239 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000

उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव						
खदान के बाउण्ड्री में (1,239 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण हेतु राशि	1,23,900	–	–	–	–
	फेंसिंग हेतु राशि	1,04,000	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	61,950	61,950	61,950	61,950	61,950
	सिंचाई, रख–रखाव आदि हेतु राशि	1,55,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
कुल राशि = 15,42,650		**4,94,850**	**2,61,950**	**2,61,950**	**2,61,950**	**2,61,950**

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
71.54	2%	1.43	Following activities at, **Village- Rohansi**	
			Plantation around village pond & maintenance for 5 year	1.50
			Total	**1.50**

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (आम, जामुन, कटहल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 71 नग पौधों के लिए राशि 7,100 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 10,650 रूपये, खाद के लिए राशि 3,550 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 27,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 48,300 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,02,200 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत रोहांसी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 843, क्षेत्रफल 3.804 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

17. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 7,478.25 घनमीटर है। प्रस्तुत प्लान पिरियड में कुल मात्रा 6,928.25 घनमीटर ऊपरी मिट्टी जनित होगी, जिसमें से 2,186 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण हेतु उपयोग किया जाएगा एवं शेष 4,742.25 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को माईनिंग स्कीम के तहत् लीज क्षेत्र के दक्षिण भाग (प्रस्तुत प्लान पिरियड के अनुसार गैर माईनिंग) के 2,200 वर्गमीटर क्षेत्र में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा एवं आगामी माईनिंग स्कीम के तहत् इस मिट्टी का उपयोग पुर्नभरण में किया जाएगा अथवा लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक

502/1, 502/2, 503/1, 503/2, 503/3, क्षेत्रफल 0.283 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा। समिति का मत है कि 4,742.25 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के भीतर 2,200 वर्गमीटर क्षेत्र में भण्डारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु सुरक्षा कारणों से ऊपरी मिट्टी की ऊंचाई तथा डम्प क्षेत्र में स्लोप की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. लीज क्षेत्र में ओव्हर बर्डन की मोटाई 0.75 मीटर है तथा कुल मात्रा 22,434.75 घनमीटर है। प्रस्तुत प्लान पिरियड में कुल मात्रा 20,784.75 घनमीटर ओव्हर बर्डन जनित होगी, जिसमें से ओव्हर बर्डन का उपयोग आवेदित क्षेत्र के भीतर क्रशर रैम्प निर्माण, हॉल रोड़ के विकास आदि कार्यों में किया जाएगा। समिति का मत है कि ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनभराव हेतु किये जाने, इस प्रकार भण्डारित उपरी मिट्टी का निरीक्षणकर्ता/ अधिकारी को उनके निरीक्षण/ भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा, खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निकायों को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी एवं प्राकृतिक जल स्त्रोत, नाला, नदी, तालाब के संरक्षण व संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे:–

i. आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन नहीं होता है अर्थात किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्त्रोत मई नहीं किया जावेगा।

ii. खदान कार्यालय से उत्पनन घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख्ता गड्ढे प्रदान किये जाएंगे।

iii. सतही जल के संरक्षण के लिए खदान के चारों ओर गारलैंड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक के द्वारा उपचारित करके ही अन्य स्त्रोतो मे छोड़ा जावेगा।

iv. खदान के अंदर वर्षा द्वारा संचित जल को उपचारित करके आवश्यकतानुसार ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जावेगा।

v. खदान की बाउंड्री के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।

vi. यथा संभव तालाब के चारो ओर भी सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।

प्रस्तुत आवेदन में आवेदित स्थल से तालाब 480 मीटर तथा नहर कि.मी. की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संचालन के दौरान उपरोक्त बिन्दु क्रमांक i से vi के पालन से तालाब एवं नहर पर प्रभाव को रोका जा सकेगा।

27. आवेदक द्वारा भूमि स्वामियों के निजी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्धारित मुआवजा तथा रोजगार की प्राथमिकता का अवसर भूमि स्वामियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 1.25 कि.मी., अस्पताल 5.75 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 680 मीटर की दूरी पर है जो कि छ.ग. गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र मे होने वाले जन समस्याओं का निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे:–

i. खदान के माईन बाउन्ड्री में चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

ii. धूल (डस्ट) के निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढककर किया जावेगा, जिससे रास्ते में वाहन से खनिज ना गिरे।

iv. हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।

v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में कैम्प लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा।

vi. हमारे द्वारा स्कूल में परियोजना लागत 2 प्रतिशत सी.ई.आर. के तहत खर्च किया जावेगा।

vii. धूल एवं ब्लास्टिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए DGMS के रजिस्टर्ड ब्लास्टर द्वारा नियमानुसार कम तीव्रता वाले नियंत्रित विस्फोट की तकनीक अपनाकर कम किया जाएगा। जिससे ब्लास्टिंग के कारण आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।

viii. सड़कों का उचित रखरखाव एवं धूल आदि से सुरक्षा हेतु नियमित जल छिड़काव किया जावेगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में धूल का प्रभाव नगण्य होगा।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 214 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114/2014 Common Cause vs. Union of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. निकटतम वन क्षेत्र के तरफ लीज क्षेत्र के भीतर कम से कम 10 मीटर की चौड़ाई तक के क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखकर अद्यतन स्थिति में रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. ऊपरी मिट्टी (मात्रा 4,742.25 घनमीटर) को लीज क्षेत्र के भीतर 2,200 वर्गमीटर क्षेत्र में भण्डारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु सुरक्षा कारणों से ऊपरी मिट्टी की ऊंचाई तथा डम्प क्षेत्र में स्लोप की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. ओव्हर बर्डन (मात्रा 20,784.75 घनमीटर) प्रबंधन योजना का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/10/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 02/04/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. निकटतम वन क्षेत्र के तरफ लीज क्षेत्र के भीतर कम से कम 10 मीटर की चौड़ाई तक के 350 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। उक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

2. ऊपरी मिट्टी मात्रा 4,742.25 घनमीटर में से 2,200 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के भीतर 2,200 वर्गमीटर खाली जगह पर 2 मीटर की ऊंचाई एवं 9 डिग्री के स्लोप में डम्प किया जाएगा तथा शेष 2542.25 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को खसरा क्रमांक 503/1, 503/2, 503/3, 502/1 एवं 502/2 के 1700 वर्गमीटर क्षेत्र में 3 मीटर की ऊंचाई एवं 10 डिग्री के स्लोप में डम्प किया जाएगा।

3. ओव्हर बर्डन मात्रा 20,784.75 घनमीटर में से 5,000 घनमीटर ओव्हर बर्डन को रैम्प निर्माण, 13,500 घनमीटर क्रशर के हॉपर रैम्प निर्माण, 930 घनमीटर ओव्हर बर्डन को क्रशर की स्थापना हेतु उपयोग किया जाएगा। शेष 1,354.75 घनमीटर को खसरा क्रमांक 503/1, 503/2, 503/3, 502/1 एवं 502/2 के 1700 वर्गमीटर क्षेत्र में भण्डारित किया जाएगा।

1. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

2. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापार के ज्ञापन क्रमांक 992/बी 3–3/न.क्र 10/2022 बलौदाबाजार, दिनांक 19/05/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–रोहांसी) का क्षेत्रफल 3.652 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. मेसर्स सिंघानिया इंटरप्राईजेस (रोहांसी लाईम स्टोन माईन, पार्टनर श्री रोहित सिंघानिया) को ग्राम–रोहांसी, तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के खसरा क्रमांक 475/7, 476/2, 476/3, 476/4, 476/5, 476/6, 476/7, 476/11, 476/12, 476/13, 476/14, 476/15, 476/16, 476/17, 476/19, 476/20, 476/21, 476/22 एवं 476/23 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–3.652 हेक्टेयर, क्षमता – 1,50,123 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 16/07/2024 को संपन्न 176वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक मेसर्स सिंघानिया इंटरप्राईजेस (रोहांसी लाईम स्टोन माईन, पार्टनर श्री रोहित सिंघानिया) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण कार्य के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iv. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

   v. किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाए एवं इसका संरक्षण तथा संवर्धन किया जाए।

   vi. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

   साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–3 **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज/पत्र प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स बोकी आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अभय कुमार सोनी), ग्राम–बोकी, तहसील–जशपुर नगर, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1737)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/218363/2021, दिनांक 18/07/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 24/07/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/12/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बोकी, तहसील–जशपुर नगर, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 292, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर है। खदान की उत्खनन क्षमता – 2,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 6,318 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 22/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 401वीं बैठक दिनांक 04/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 04/03/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 16/06/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 418वीं बैठक दिनांक 26/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 26/07/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री असगर अली, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 292, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, क्षमता– 2,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–जशपुर द्वारा दिनांक 21/02/2017 को जारी की गई।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। चुंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/309/खनि. शा./2021 जशपुर, दिनांक 08/10/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन	वर्ष	उत्पादन
2012	निरंक	2017	157
2013	370	2018	100
2014	50	2019	824
2015	निरंक	2020	1,700
2016	निरंक	2021	300

समिति का मत है कि प्रस्तुत प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में दिये गये उत्पादन आंकड़ों की मात्रा में इकाई (Unit) का उल्लेख नहीं है। अतः विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में किये गये उत्पादन आंकड़ों की मात्रा में इकाई (Unit) का उल्लेख करते हुए खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बोकी का दिनांक 25/09/2010 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – रिवाईज्ड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–सरगुजा द्वारा अनुमोदित है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित रिवाईज्ड क्वारी प्लान में जावक क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख नहीं है। अतः अनुमोदित रिवाईज्ड क्वारी प्लान के कव्हरिंग लेटर (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 157/खनि.शा./2021 जशपुर, दिनांक 28/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 158/खनि.शा./2021 जशपुर, दिनांक 28/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मस्जिद, मरघट, अस्पताल एवं रेल लाईन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – पूर्व में लीज श्री विरेन्द्र के नाम पर थी। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 11/05/2012 से 10/05/2042 तक की अवधि हेतु वैध है। उक्त लीज का हस्तांतरण दिनांक 19/11/2018 को श्री अभय कुमार सोनी के नाम पर किया गया है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2012/800 जशपुर, दिनांक 06/03/2012 के प्रमाण पत्र में आवेदित क्षेत्र हेतु अनापत्ति के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। अतः लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बोकी 530 मीटर, स्कूल ग्राम–बोकी 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल जशपुरनगर 12.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11.7 कि.मी. दूर है। नदी 1.2 कि.मी. एवं तालाब 365 मीटर की दूरी पर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,51,000 टन, माईनेबल रिजर्व 1,38,767 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,24,890 टन है। लीज की

7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,801 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 13.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 22 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नही है एवं क्रशर स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत नही किया गया है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	6,318
द्वितीय	6,318
तृतीय	6,318
चतुर्थ	6,318
पंचम	6,318

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा, जल आपूर्ति स्त्रोत एवं संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त कर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 415 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बोकी के अंतर्गत बोकी पहुँच मार्ग के दोनों तरफ 200 नग वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना की कुल लागत की उपयुक्त गणना किया जाना आवश्यक है। साथ ही पहुँच मार्ग की लम्बाई (नक्शे में अक्षांश देशांतर सहित दर्शाते हुए एवं खसरावार सहित) के अनुसार उपयुक्त वृक्षों का चयन कर सी.ई.आर. (C.E.R.) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में किये गये उत्पादन आंकड़ों की मात्रा में इकाई (Unit) का उल्लेख करते हुए खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. अनुमोदित रिवाईज्ड क्वारी प्लान के कव्हरिंग लेटर (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

5. लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा, जल आपूर्ति स्त्रोत एवं संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त कर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

7. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भराव हेतु किये जाने साथ ही निरीक्षणकर्ता / अधिकारी को उनके निरीक्षण / भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराए जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना की कुल लागत की उपयुक्त गणना कर कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) हेतु पहुँच मार्ग की लम्बाई (नक्शे में अक्षांश देशांतर सहित दर्शाते हुए एवं खसरावार सहित) के अनुसार उपयुक्त वृक्षों का चयन कर सी.ई.आर. (C.E.R.) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

10. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/11/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/06/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(इ) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 28/06/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/12/2022, दिनांक 14/03/2023, दिनांक 29/05/2023 को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में आवेदन किया जाना बताया गया है, जो अप्राप्त है। एस.ई.ए.सी. के ज्ञापन दिनांक 09/11/2022 के माध्यम से एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

नवा रायपुर अटल नगर को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु अनुरोध पत्र लेख किया था, जो अप्राप्त है।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाना आवश्यक है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/310/खनि. शा./2021 जशपुर, दिनांक 08/10/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2001	90	2012	165
2002	235	2013	240
2003	120	2014	60
2004	85	2015	550.1
2005	निरंक	2016	26.1
2006	55	2017	10
2007	10	2018	77
2008	795	2019	185.8
2009	600	2020	480
2010	360	2021	312
2011	180		

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/309/खनि. शा./2021 जशपुर, दिनांक 08/10/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी अनुसार

2017	157
2018	100
2019	824
2020	1,700
2021	300

समिति का मत है कि प्रस्तुत रिवाईज्ड क्वारी प्लान अनुसार प्रस्तावित गौण खनिज की स्पेसिफिक ग्रैविटि 2.6 (1000 kg/m^3) है। प्रस्तुत किये गये दोनों जानकारी अनुसार विगत वर्ष में किये गये उत्खनन की जानकारी में भिन्नता है, अतः कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. रिवाईज्ड क्वारी प्लान उप–संचालक (ख.प्र.), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 287/खनिज/खलि.3/उत्खनन यो./2022–23 दिनांक 16/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. भूमि संबंधी दस्तावेज (पी–2, खसरा नक्शा) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार आवेदित क्षेत्र शासकीय भूमि है।

5. कार्यालय वनमंडलाधिकारी जशपुर वनमंडल, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2012/800 जशपुर, दिनांक 06/03/2012 से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी की मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया है, परन्तु ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में रखा जाना बताया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनभराव हेतु किये जाने साथ ही निरीक्षणकर्ता / अधिकारी को उनके निरीक्षण / भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराए जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि ऊपरी मिट्टी की मात्रा के अनुसार ही ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 415 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 8,300 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 55,000 रूपये, खाद के लिए राशि 5,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 12,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 80,300 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 48,000 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

9. परियोजना की कुल लागत की उपयुक्त गणना कर कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) के तहत् 200 मीटर लम्बाई के पहुँच मार्ग के दोनो तरफ (नक्शे में अक्षांश देशांतर सहित दर्शाते हुए एवं खसरा क्रमांक 17/1) वृक्षारोपण हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.8	Following activities at nearby, **Village-Boki**	
			Plantation	2.855
			Total	**2.855**

सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण के तहत् (नीम, आम, अमरूद, अर्जुन एवं जामुन) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 4,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 48,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 93,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,92,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बोकी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

10. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/309/खनि. शा./2021 जशपुर, दिनांक 08/10/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में एवं कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/310/खनि. शा./2021 जशपुर, दिनांक 08/10/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की प्रमाणित जानकारी में भिन्नता के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर को पत्र लेख किया जाए।
3. ऊपरी मिट्टी की मात्रा के अनुसार ही ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/08/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 13/02/2024 को जानकारी/ दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ई) समिति की 516वीं बैठक दिनांक 28/02/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 8998, दिनांक 12/02/2024 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के 31 शर्तों में से 03 शर्त अपूर्ण तथा शेष 28 शर्तों का पालन किया जा रहा है।

   इस संबंध में समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में अपूर्ण शर्तों के संबंध में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/309/खनि. शा./2021 जशपुर, दिनांक 08/10/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में एवं कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/310/खनि.शा./2021 जशपुर, दिनांक 08/10/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की प्रमाणित जानकारी में भिन्नता के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 100, दिनांक 14/02/2024 के माध्यम से प्रेषित जानकारी में उल्लेखित तथ्य निम्न है:–

ग्राम पंचायत बोकी में खसरा क्रमांक 42/1 रकबा 2 हेक्टेयर क्षेत्र पर तथा खसरा क्रमांक 292 रकबा 1 हेक्टेयर क्षेत्र पर पृथक–पृथक साधारण पत्थर उत्खनिपट्टा स्वीकृत है। खसरा क्रमांक 42/1 रकबा 2 हेक्टेयर क्षेत्र पर स्वीकृत साधारण पत्थर उत्खनिपट्टा हेतु पत्र क्रमांक 310/खनि.शा./2021 जशपुर, दिनांक 08/10/2021 द्वारा तथा खसरा क्रमांक 292 रकबा 1 हेक्टेयर क्षेत्र पर 292 रकबा 1 हेक्टेयर क्षेत्र पर स्वीकृत साधारण पत्थर उत्खनिपट्टा हेतु पत्र क्रमांक/309/खनि.शा./2021 जशपुर, दिनांक 08/10/2021 के द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी संबंधित पट्टेदार श्री अभय कुमार सोनी, निवासी जिला–जशपुर को प्रेषित की गई है, जिसके अनुसार:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2012	निरंक
2013	370
2014	50
2015	निरंक
2016	निरंक
2017	157
2018	100
2019	824
2020	1,700
2021	300
कुल	3,501

3. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर थी, जिसे लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु भण्डारित किया गया है। वर्तमान में लीज क्षेत्र के भीतर ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है।

4. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 157/खनि.शा./2021 जशपुर, दिनांक 28/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम—बोकी) का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी—2 श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में अपूर्ण शर्तों के संबंध में एक्शन टेकन रिपोर्ट को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक — मेसर्स बोकी आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.— श्री अभय कुमार सोनी) को ग्राम—बोकी, तहसील—जशपुर नगर, जिला—जशपुर के खसरा क्रमांक 292 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल—1 हेक्टेयर, क्षमता—2,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 6,318 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 24/04/2024 को संपन्न 172वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि** परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में अपूर्ण शर्तों के संबंध में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/05/2024 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 26/06/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 16/07/2024 को संपन्न 176वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में आंशिक पालन/अपूर्ण शर्तों के संबंध में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार:—

1. लीज क्षेत्र के चारों और लीज क्षेत्र के चारो ओर छोड़ी गयी 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट डम्प का भण्डारण नहीं किया गया है तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण (ट्री गार्ड सहित) पूर्ण कर लिया गया है।

2. खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आसपास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो इसे रोकने के लिए गारलैंड ड्रेन बनाया गया है।

3. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र, हॉल रोड एवं पहुंचमार्ग में वृक्षारोपण पूर्ण कर लिया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक - मेसर्स बोकी आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री अभय कुमार सोनी) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:-

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट मे समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाए एवं इसका संरक्षण तथा संवर्धन किया जाए।

   iv. सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   v. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

   vi. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

   साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

2. मेसर्स बोकी (बीरोपानी) आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री अभय कुमार सोनी), ग्राम-बोकी, तहसील-जशपुर नगर, जिला-जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1750)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/सीजी/एमआईएन/222218/2021, दिनांक 28/07/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से

ज्ञापन दिनांक 04/08/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/12/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बोकी, तहसील–जशपुर नगर, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 42/1, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर है। खदान की उत्खनन क्षमता – 3,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 44,313.88 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 22/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 401वीं बैठक दिनांक 04/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 04/03/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 16/06/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 418वीं बैठक दिनांक 26/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 26/07/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री असगर अली, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

   i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 42/1, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर, क्षमता-3,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-जशपुर द्वारा दिनांक 21/02/2017 को जारी की गई।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। चुंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक /310/खनि.शा./2021 जशपुर, दिनांक 08/10/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2001	90	2008	795	2015	555.1
2002	235	2009	600	2016	26.1
2003	120	2010	360	2017	10
2004	85	2011	180	2018	77
2005	निरंक	2012	165	2019	185.8
2006	55	2013	240	2020	480
2007	10	2014	60	2021	312

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बोकी का दिनांक 16/09/2000 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – रिवाईज्ड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 282/खनिज/ख.लि. 3/उत्खनन यो./2020-21 दिनांक 15/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 159/खनि.शा./2021 जशपुर, दिनांक 28/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 160/खनि.शा./2021 जशपुर, दिनांक 28/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मस्जिद, मरघट, अस्पताल एवं रेल लाईन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। पूर्व में लीज श्री संजय कुमार गुप्ता के नाम पर थी। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 13/03/2001 से 12/03/2031 तक की अवधि हेतु वैध है। उक्त लीज का हस्तांतरण दिनांक 14/08/2020 को श्री अभय सोनी के नाम पर किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, सामान्य जशपुर नगर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./557 जशपुर, दिनांक 08/02/2001 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बोकी 210 मीटर, स्कूल ग्राम–बोकी 3 कि.मी. एवं अस्पताल जशपुर नगर 8.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 9 कि.मी. दूर है। तालाब 280 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 4,68,000 टन, माईनेबल रिजर्व 2,21,569 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,99,412 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,384 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 2,000 वर्गमीटर है। जैक हैमर ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	44,313.88
द्वितीय	44,313.88
तृतीय	44,313.88
चतुर्थ	44,313.88
पंचम	44,313.88

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 712 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया जाना बताया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बिरोपानी बोकी के अंतर्गत बिरोपानी पहुँच मार्ग के दोनों तरफ 200 नग वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना की कुल लागत की उपयुक्त गणना किया जाना आवश्यक है। साथ ही पहुँच मार्ग की लम्बाई (नक्शे में अक्षांश देशांतर सहित दर्शाते हुए एवं खसरावार सहित) के अनुसार उपयुक्त वृक्षों का चयन कर सी.ई.आर. (C.E.R.) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भराव हेतु किये जाने साथ ही निरीक्षणकर्ता / अधिकारी को उनके निरीक्षण / भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराए जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना की कुल लागत की उपयुक्त गणना कर कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) हेतु पहुँच मार्ग की लम्बाई (नक्शे में अक्षांश देशांतर सहित दर्शाते हुए एवं खसरावार सहित) के अनुसार उपयुक्त वृक्षों (जैसे– पीपल, बरगद, बेल, कदम आदि) का चयन कर सी.ई.आर. (C.E.R.) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. समीपवर्ती प्राकृतिक जल स्त्रोतों की सुरक्षा करने तथा कोई हानि नहीं पहुंचाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/11/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/06/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(इ) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 28/06/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/12/2022, दिनांक 14/03/2023, दिनांक 29/05/2023 को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में आवेदन किया जाना बताया गया है, जो अप्राप्त है। एस.ई.ए.सी. के ज्ञापन दिनांक 09/11/2022 के माध्यम से एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु अनुरोध पत्र लेख किया था, जो अप्राप्त है।

   उपरोक्त के परिपेक्ष्य में समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाना आवश्यक है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी की मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया है, परन्तु ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में रखा जाना बताया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भराव हेतु किये जाने साथ ही निरीक्षणकर्ता / अधिकारी को उनके निरीक्षण / भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराए जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि ऊपरी मिट्टी की मात्रा के अनुसार ही ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 712 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 14,240 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 80,000 रूपये, खाद के लिए राशि 7,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 12,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 1,13,240 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 48,000 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

4. परियोजना की कुल लागत की उपयुक्त गणना कर कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) के तहत् 200 मीटर लम्बाई के पहुँच मार्ग के दोनो तरफ (नक्शे में

अक्षांश देशांतर सहित दर्शाते हुए एवं खसरा क्रमांक 33) वृक्षारोपण हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.6	Following activities at nearby, **Village-Biropani Boki**	
			Plantation	2.855
			Total	**2.855**

5. सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण के तहत् (नीम, आम, अमरूद, अर्जुन एवं जामुन) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 4,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 48,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 93,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,92,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बिरोपानी बोकी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
6. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. समीपवर्ती प्राकृतिक जल स्त्रोतों की सुरक्षा करने तथा कोई हानि नहीं पहुंचाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाए।
2. ऊपरी मिट्टी की मात्रा के अनुसार ही ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/08/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 13/02/2024 को जानकारी/ दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ई) समिति की 516वीं बैठक दिनांक 28/02/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 8997, दिनांक 12/02/2024 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के 31 शर्तों में से 09 शर्त अपूर्ण तथा शेष 22 शर्तों का पालन किया जा रहा है।

   इस संबंध में समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में अपूर्ण शर्तों के संबंध में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. ऊपरी मिट्टी के मोटाई 1 मीटर थी, जिसे पूर्व में ही उत्खनित कर लिया गया है। अतः वर्तमान में लीज क्षेत्र के भीतर ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है।

3. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 159/खनि. शा./2021 जशपुर, दिनांक 28/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-बोकी) का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में अपूर्ण शर्तों के संबंध में एक्शन टेकन रिपोर्ट को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** आवेदक – मेसर्स बोकी (बीरेपानी) आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अभय कुमार सोनी) को ग्राम–बोकी, तहसील–जशपुर नगर, जिला–जशपुर के खसरा क्रमांक 42/1 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर, क्षमता–3,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 44,313.88 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 24/04/2024 को संपन्न 172वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि** परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में अपूर्ण शर्तों के संबंध में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/05/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 26/06/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 16/07/2024 को संपन्न 176वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में आंशिक पालन/अपूर्ण शर्तों के संबंध में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार:–

1. सहमत हूँ। उत्खनन क्षेत्र 2.00 हेक्टेयर से अधिक नहीं है। उत्खनन 3,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं किया गया है। लीज क्षेत्र की सीमा का सीमांकन कराया गया है। सीमा बिन्दुओं में क्षतिग्रस्त मुनारे को हटाकर पक्के मुनारे स्थापित कर दिया गया है।
2. खदान से किसी प्रकार का जल नहीं निकलता है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु शोकपिट बनाया गया है, जिसमे पानी संग्रहित किया जाता है।
3. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से किसी प्रकार का जल नहीं निकलता है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु शोकपिट बनाया गया है जिसमे पानी संग्रहित किया जाता है। संग्रहित पानी का उपयोग डस्ट सप्रेसन में किया जाता है। बारिश का जल बहकर जल स्त्रोतों में न मिले इसके लिए गारलैंड ड्रेन का निर्माण किया गया है।
4. लीज क्षेत्र के चारों ओर छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट डंप का भण्डारण नहीं किया गया है तथा इस पट्टी में पत्थर होने के कारण वृक्षारोपण संभव नहीं था। अतः समीप में निजी भूमि में चारो तरफ से कांटेदार तार से घेरकर उसके अन्दर वृक्षारोपण किया गया है।
5. खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आसपास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो इसे रोकने के लिए गारलैंड ड्रेन बनाया गया है।
6. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों ओर 7.5 मीटर), में पत्थर होने के कारण वृक्षारोपण संभव नहीं था। अतः समीप में निजी भूमि में चारो तरफ से कांटेदार तार से घेरकर उसके अन्दर स्थानीय प्रजाति (आम, नीम, सीसम, बरगद, पीपल आदि) के वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया है।

7. उत्खनन योजना के अनुसार जहाँ संभव था वहाँ आम, नीम, सीसम, अर्जुन, करंज आदि वृक्षों का वृक्षारोपण ट्री गार्ड सहित कर लिया गया है।

8. खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल, चिकित्सीय सुविधा के लिए फर्स्टऐड बाक्स, मोबाइल, टॉयलेट आदि की व्यवस्था कर ली गयी है।

9. श्रमिकों का समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाता है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स बोकी (बीरोपानी) आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अभय कुमार सोनी) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:-

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाए एवं इसका संरक्षण तथा संवर्धन किया जाए।

   iv. सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य के सत्यापन हेतु जियोटैग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   v. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों की क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

   vi. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

   साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–4: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 174वीं बैठक दिनांक 26/06/2024 को संपन्न हुई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन दिनांक 16/07/2024 को किया गया।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(अरूण प्रसाद पी.) सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़	**(देबाशीष दास)** अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डॉ. दीपक सिन्हा)
सदस्य
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़